कार्यकारिणी समिति

बैठक दिनाक 10/02/95

समय -- पूर्वान्ह 11 30 बजे

र प्रदेश सभी के लिए शिक्षा परियोजना

लखनऊ

(DPEP)

कार्यकारिणी समिति

बैठक दिनाक 10/02/95

समय पूर्वान्ह 11 30 बजे

LIBRARY & DOCUMENTATION UNIT
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No D-8584
Date 10-4-95

उत्तर प्रदेश--सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद
कार्यकारिणी समिति की बैठक (सातवीं) का एजेण्डा

बैठक की तिथि : **10 फरवरी, 1995** स्थल : मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, सभाकक्ष ।

समय : **पूर्वान्ह 11:30 बजे**

क्रमांक	एजेण्डा बिन्दु	पृष्ठ
1	2	3
(1)	गत बैठक दिनांक 31/10/1994 की कार्यवृत्त की पुष्टि ।	1-4
(2)	गत बैठक की अनुपालन आख्या एव परियोजना से सम्बन्धित अद्यतन गतिविधियों का विवरण ।	5-9
(3)	सभापति, कार्यकारिणी समिति से प्राप्त आदेशो का अनुसमर्थन ।	10-11
(4)	वर्ष 1993--94 मं स्वीकृत कार्यक्रमो/गतिविधियो की प्रगति की समीक्षा ।	12-17
(5)	वर्ष 1994--95 में अनुमोदित कार्यक्रमों/गतिविधियो की प्रगति की समीक्षा।	18-29
(6)	वर्ष 1994-95 का संशोधित आय--व्ययक ।	30-36
(7)	वर्ष 1995--96 की वार्षिक कार्य--योजना एवं बजट (ए0डब्लू0पी0बी0)	37-39
(8)	स्वैच्छिक संस्थाओ को बेसिक शिक्षा क्षेत्र से सम्बन्धित कार्यक्रमों/ गतिविधियो के संचालनार्थ सहायता अनुदान कार्यक्रम ।	40-55
(9)	ग्राम शिक्षा समितियों को प्रोत्साहन अनुदान ।	56-60
(10)	राज्य परियोजना कार्यालय तथा जिला परियोजना कार्यालयो के पदो का का सृजन एव वाहन तथा अन्य सामग्री की व्यवस्था ।	61-62
(11)	वरिष्ठ विशेषज्ञ (निर्माण कार्य) का वेतनमान ।	63--
(12)	अन्य बिन्दु सभापति की अनुमति से --	
	(i) वित्तीय अधिकारो का प्रतिनिधायन	64--
	(ii) बी0आर0सी0 भवनो की चहारदीवारी का निर्माण	65-66
	(iii) परियोजना के विभिन्न समितियो के सदस्यो का यात्रा भत्ता देयको का भुगतान	67--

एजेण्डा बिन्दु – 1

गत बैठक दिनाँक 31/10/1994 की कार्यवृत्त की पुष्टि

उ0प्र0– सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद की कार्यकारिणी समिति की (छठी) बैठक दिनाँक 31/10/1994 का कार्यवृत्त

उ0प्र0–सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद की कार्यकारिणी समिति की (छठी) बैठक दिनाँक 31/10/1994 को मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन एवं सभापति, कार्यकारिणी समिति की अध्यक्षता में मध्यान्ह 12:00 बजे उनके सभाकक्ष में सम्पन्न हुई। इस बैठक में प्रतिभाग करने वाले सदस्यों की सूची संलग्नक–1 पर है।

2. बैठक हेतु दिनाँक 28 अक्टूबर, 1994 के पत्र द्वारा प्रसारित एजेण्डा बिन्दुओं की टिप्पणी पर विचार–विमर्श हुआ तथा निम्नांकित निर्णय लिये गये :–

(1) कार्यकारिणी समिति की पाँचवीं बैठक दिनाँक 9 जून, 1994 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

(2) गत बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या प्रस्तुत की गई। समिति इससे अवगत हुई।

(3) कार्यकारिणी समिति की गत बैठक (9 जून, 1994) के बाद से परियोजना से सम्बन्धित प्रमुख गतिविधियों की जानकारी समिति के सदस्यों/अधिकारियों को प्रदान की गई। गत बैठक के बाद आई0 डी0 ए0 का "द्वतीय सुपरविज़न मिशन" दिनांक 23–24 जून, 1994 तक प्रदेश भ्रमण पर आया था। मिशन ने यह सुझाव दिया था कि इस मिशन का "फालो अप मिशन" मुख्यतः प्रशिक्षण कार्यक्रमों को देखने के लिये आयेगा। "फालो अप मिशन" ने प्रथम चरण में लखनऊ, इलाहाबाद तथा सहारनपुर का भ्रमण दिनाँक 24–26 अक्टूबर, 1994 की अवधि में किया। द्वितीय चरण में "फालो अप मिशन" नवम्बर, 1994 के तृतीय सप्ताह में पुनः आयेगा।

(4) वर्ष 1993–94 मे स्वीकृत कार्यो की प्रगति समीक्षा की गई। प्राथमिक स्तर के 665 नवीन, 21 पुनर्स्थापना तथा 314 पुनर्निर्माण कुल 1000 स्कूल भवनों का निर्माण होना है, इनमें से 210 स्थलों पर निर्माण कार्य अप्रारम्भ है, 742 स्थलो पर कार्य प्रगति पर हैं तथा 48 भवन पूर्ण हो चुके हैं। उच्च प्राथमिक स्तर के 314 नवीन, 08 पुनर्स्थापना तथा 94 पुनर्निर्माण कुल 416 भवन निर्मित कराया जाना है। इनमें से 112 अप्रारम्भ हैं, 295 प्रगति पर हैं तथा 09 भवन पूर्ण रूप से निर्मित हो चुके हैं। पूर्व से संचालित स्कूलो में एक कक्ष तथा दो कक्ष के निर्माण हेतु क्रमशः 300 तथा 49 की स्वीकृति प्रदान की गई। एक कक्ष के 213 कार्य अप्रारम्भ हैं, 65 प्रगति पर हैं तथा 22 का कार्य पूर्ण हो चुका है। दो कक्षों में 23 का कार्य अप्रारम्भ है, 15 प्रगति पर हैं तथा 11 पूर्ण हो चुके हैं। 1411 स्वीकृत शौचालय के निर्माण कार्य में से 1196 अप्रारम्भ हैं, 102 प्रगति पर है तथा 113 पूर्ण हो चुके हैं। पेयजल व्यवस्था हेतु 1054 हैण्डपम्प लगवाये जाने थे, इनमें से 237 हैण्डपम्प लगाये जा चुके

है, 6 हैण्डपम्प का कार्य प्रगति पर है तथा 811 हैण्डपम्प का कार्य अप्रारम्भ है । ब्लाक संसाधन केन्द्रों के निर्माण का कार्य ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा किया जा रहा है । 173 भवन निर्माण कार्य मे से 127 भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है । 05 स्थलों पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाना है तथा 41 भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है । ब्लाक संसाधन केन्द्रों के निर्माण कार्य का निरीक्षण नियोजन विभाग द्वारा कराया जा चुका है । इसकी आख्या प्राप्त हो चुकी है । इस सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, राज्य परियोजना निदेशक तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारियों की बैठक आयोजित की जा रही है तथा इसका साप्ताहिक अनुश्रवण भी शासन स्तर पर किया जा रहा है । प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्कूल भवनों का निर्माण एवं विस्तार कार्य का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान तथा सम्बन्धित स्कूलों के प्रधानाध्यापक का है । इस सम्बन्ध मे यह निर्णय लिया गया कि परियोजना जनपद के सभी जिलाधिकारी जो जिला शिक्षा परियोजना समिति के अध्यक्ष भी हैं, को यह निर्देश दिया जाय कि वर्ष 1993–94 मे निर्माण कार्य से सम्बन्धित लक्ष्यों की प्राप्ति नवम्बर, 1994 के अन्त तक अवश्य सुनिश्चित करायें ।

(5) वर्ष 1994–95 में प्राथमिक स्तर के 739 नये स्कूल, 69 पुनर्स्थापना तथा 361 स्कूल भवनों का पुनर्निर्माण का लक्ष्य है । उच्च प्राथमिक स्तर पर 452 नये, 02 पुनर्स्थापना तथा 102 भवनों का पुनर्निर्माण का लक्ष्य है । विस्तार कार्य के अन्तर्गत 355 एक कक्षा–कक्ष, 84 दो कक्षा–कक्ष तथा 4378 शौचालयों का निर्माण एवं 2095 पेयजल व्यवस्था हेतु हैण्डपम्प लगाया जाना है । 1500 स्कूल संकुल भवनों का निर्माण भी कराया जाना है । प्रथम किश्त में, वर्ष 1994–95 के लिये स्वीकृत कार्यो के लिये राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराई गई (रूपया 25 करोड़), धनराशि मैदानी क्षेत्र के जनपदों का फाँट तैयार कर बैंक ड्राफ्ट द्वारा सितम्बर, 1994 में जनपदों को उपलब्ध करा दी गई है । उत्तराखण्ड के जनपदों के लिये स्वीकृति धनराशि रूपया 2·50 करोड़ पी0 एल0 ए0 में है, इसे अवमुक्त करने की कार्यवाही तत्काल की जाय । निर्माण कार्य के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति वर्तमान वित्तीय वर्ष 1994–95 में अवश्य सुनिश्चित कराई जाय तथा यह भी सुनिश्चित किया जाय कि आवश्यक धनराशि के हस्तान्तरण में किसी स्तर पर कोई विलम्ब न हो । इस सम्बन्ध में जिला अधिकारियों को निर्देश भेजे जाये और मण्डलायुक्तों को प्रभावी अनुशीलन के लिये कहा जाय ।

(6) कार्यकारिणी समिति में रोटेशन से दो जिलाधिकारी एक वर्ष के लिये नामित किये जाते हैं । इस वर्ष जिलाधिकारी, इटावा तथा पौड़ी हैं । कार्यकारिणी समिति की आगामी बैठक में परियोजना जनपद के किसी अन्य जनपद के जिलाधिकारी को भी जनपद में परियोजना के क्रियान्वयन की प्रगति की स्थिति से अवगत कराने हेतु आमंत्रित किया जाय । इस निर्णय से सभी जिला अधिकारियों को अवगत करा दिया जाय ।

(7) गैर–सरकारी संगठनों की भूमिका तथा उनके योगदान के सम्बन्ध मे महिला समाख्या कार्यक्रम का उल्लेख किया गया । इस सम्बन्ध में यह अपेक्षा की गई कि आगामी वर्ष से गैर–सरकारी संगठनों की प्रभावी भूमिका सुनिश्चित की जाय ।

(8) भारत सरकार के प्रतिनिधि द्वारा जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान में रिक्त पदों के भरे जाने की ओर विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट किया । इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया गया कि इनके पदों को सम्प्रति विभागीय अधिकारियों/शिक्षकों से यथाशीघ्र भर दिया जायेगा ।

(9) एजेण्डा के अन्य बिन्दुओं पर विचार–विमर्श सम्भव न हो सका । इसे समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा ।

3. अध्यक्ष तथा अन्य उपस्थित सदस्यों/अधिकारियों को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई ।

संलग्नक – एक

उ0प्र0–सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद की कार्यकारिणी समिति की (छठी) बैठक दिनाँक 31/10/1994 में प्रतिभागियों की उपस्थिति

क्रमाँक	नाम एवं पदनाम
(1)	श्री बृजेन्द्र सहाय, मुख्य सचिव एवं सभापति,
(2)	श्री कर्नैल सिंह, प्रमुख सचिव (शिक्षा) एवं उप सभापति,
(3)	श्री एस0 आर0 तायल, निदेशक (यू0यू0), मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा विभाग, नई दिल्ली ,
(4)	श्री शेखर अग्रवाल, सचिव (वित्त),
(5)	डॉ0 यशपाल, सचिव (पंचायतीराज),
(6)	श्री आलोक रंजन, सचिव (बेसिक शिक्षा),
(7)	श्री गोविन्दन नायर, राज्य परियोजना निदेशक,
(8)	श्री वी0 पी0 पाण्डेय, विशेष सचिव (नियोजन),
(9)	श्री परमेश्वरन अय्यर, विशेष सचिव (ग्राम्य विकास),
(10)	श्री पी0 पी0 बैरिया, विशेष सचिव (वित्त),
(11)	डॉ0 लक्ष्मी प्रसाद पाण्डेय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),
(12)	श्री हरि प्रसाद पाण्डेय, शिक्षा निदेशक (बेसिक),
(13)	डॉ0 कृष्णावतार पाण्डेय, निदेशक, एस0 सी0 ई0 आर0 टी0,
(14)	श्री हरि प्रसाद पाण्डेय, निदेशक, उर्दू एवं प्राच्य भाषाएं,

अन्य उपस्थिति :

(1)	श्री शरदिन्दु, अपर राज्य परियोजना निदेशक
(2)	श्री महेश चन्द्र पन्त, वरिष्ठ विशेषज्ञ (अनौपचारिक शिक्षा)
(3)	श्री संजय मोहन, वरिष्ठ विशेषज्ञ (नियोजन एवं अनुश्रवण)
(4)	श्री कृष्ण गोपाल, वरिष्ठ विशेषज्ञ (वित्त एंव लेखा)
(5)	श्री आर0 एन0 डे, वरिष्ठ विशेषज्ञ (निर्माण कार्य)

गत बैठक की अनुपालन आख्या एवं परियोजना से सम्बन्धित अद्यतन गतिविधियों का विवरण

क्रमांक	निर्णय	अनुपालन आख्या
1	2	3
(1)	आई0 डी0 ए0 "फालो अप मिशन" का भ्रमण ।	द्वितीय सुपरविज़न मिशन (जून, 1994) ने एक फालो-अप मिशन मुख्यतः प्रशिक्षण कार्यक्रम को देखने के लिए द्वितीय चरण में दिनाँक 23–25 नवम्बर, 1994 को प्रदेश भ्रमण पर आया । मिशन द्वारा एक "नोट फॉर द रिकार्ड" तैयार किया गया, जिसके सम्बन्ध में दिनाँक 7 दिसम्बर, 1994 को प्रमुख सचिव (शिक्षा) के साथ बैठक हुई तथा 19 दिसम्बर, 1994 को भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग, नई दिल्ली स्तर पर बैठक हुई ।
(2)	वर्ष 1993–94 में स्वीकृति निर्माण कार्यो की प्रगति समीक्षा ।	वर्ष 1993–94 में स्वीकृति निर्माण कार्यो की प्रगति विवरण एजेण्डा बिन्दु–4 पर प्रस्तुत है ।
(3)	वर्ष 1993–94 तथा 1994–95 में स्वीकृति निर्माण कार्यो को वरीयता के आधार पर पूर्ण कराने तथा मण्डलायुक्तों द्वारा प्रभावी अनुशीलन ।	अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति का अर्द्ध–शा0 पत्र सं0–641/94–95, दिनाँक 25/11/94 द्वारा परियोजना से आच्छादित जनपदो के जिलाधिकारियों एवं अध्यक्ष, जिला शिक्षा परियोजना समिति को निर्देश दिए गए तथा इसका पृष्ठांकन सम्बन्धित मण्डल के मण्डलायुक्तों को किया गया ।
(4)	कार्यकारिणी समिति में रोटेशन से नामित दो जिलाधिकारियों के अतिरिक्त किसी अन्य परियोजना जनपद के जिलाधिकारी को भी परियोजना के क्रियान्वयन की प्रगति की स्थिति से अवगत कराने हेतु आमंत्रित किये जाने सम्बन्धी निर्णय से जिला-धिकारियों को अवगत कराया जाना ।	राज्य परियोजना कार्यालय का पत्रांक–703/स0शि0/विविध/निर्देश/7/94–95 दिनांक 13 दिसम्बर, 1994 द्वारा परियोजना जनपद से आच्छादित जनपद के जिलाधिकारियों एवं अध्यक्ष, जिला शिक्षा परियोजना समिति को अवगत कराया गया ।

1	2	3
(5)	आगामी वर्ष से गैर-सरकारी संगठनों की प्रभावी भूमिका का सुनिश्चित किया जाना ।	स्वैच्छिक संस्थाओ की बेसिक शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित कार्यक्रमों/गतिविधियों के संचालनार्थ सहायता/अनुदान कार्यक्रम से संबंधित टिप्पणी एजेण्डा बिन्दु-8 पर प्रस्तुत है ।
(6)	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के रिक्त पदों का भरा जाना ।	परियोजना जनपद के जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवक्ता वेतनक्रम में 59 के पदस्थापन के आदेश निर्गत हो चुके हैं । शेष के संबंध में कार्यवाही की जा रही है ।

अद्यतन गतिविधियाँ

(1) फालो-अप मिशन-

परियोजना का आई0 डी0 ए0 द्वितीय सुपरविज़न मिशन (जन, 1994) ने अपने "एड मैमोयर" में प्रशिक्षण कार्यक्रम के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में "फालो अप मिशन" का प्रस्ताव किया था । उक्त के अनुसार "फालो-अप मिशन" दो चरणो में परियोजना के अन्तर्गत चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम का पर्यवेक्षण करने हेतु दिनाँक 24-26 अक्टूबर, 1994 तथा 23-25 नवम्बर, 1994 की अवधि में आया तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का स्थलीय निरीक्षण किया । मिशन द्वारा एक "नोट फॉर द रिकार्ड" तैयार किया गया, जिसके संबंध में दिनाँक 7 दिसम्बर, 1994 को प्रमुख सचिव (शिक्षा) के साथ बैठक आयोजित हुई तथा 19 दिसम्बर, 1994 को भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग, नई दिल्ली स्तर पर बैठक हुई । "फालो-अप मिशन" ने परियोजना द्वारा प्रशिक्षण के क्षेत्र में किये गये कार्य पर प्रसन्नता व्यक्त की और यह विश्वास व्यक्त किया कि परियोजना के शेष विकासखण्डों में भी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आच्छादन आगामी वर्षो मे सम्भव हो सकेगा तथा कार्यक्रम की गुणवत्ता भी लगातार सुनिश्चित की जायेगी ।

(2) कार्यक्रम समिति-

उ0प्र0-सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद की कार्यक्रम समिति की निम्नांकित बैठकें सम्पन्न हुई :-

(क) समिति की चौथी बैठक दिनाँक 05 दिसम्बर, 1994 को सम्पन्न हुई । इस बैठक में वर्ष 1993-94 एवं 1994-95 के निर्माण कार्यो की समीक्षा के अतिरिक्त वर्ष 1994-95 के संशोधित आय-व्ययक पर विचार-विमर्श कर, संस्तुति की गई ।

(ख) समिति की पाँचवीं बैठक दिनाँक 24.01.1995 को सम्पन्न हुई । इस बैठक में कार्यक्रमों की समीक्षा के अतिरिक्त वर्ष 1995-96 के वार्षिक कार्य-योजना एवं बजट (ए0डब्लू0पी0बी0) के अनुमानों पर विस्तार से विचार-विमर्श कर, संस्तुति की गई ।

(3) वित्त समिति –

उ0प्र0–सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद की वित्त समिति की तीसरी बैठक दिनांक 13.12.94 की सम्पन्न हुई । इस बैठक में राज्य परियोजना कार्यालय तथा जनपद स्तरीय कार्यालयों में पदों के सृजन की संस्तुति की गई तथा कार्यक्रम समिति में हुए विचार–विमर्श के संदर्भ में वर्ष 1994–95 के पुनरीक्षित अनुमानों पर विचार–विमर्श कर अन्तिम रूप दिया गया ।

समिति की चौथी बैठक दिनांक 31.01.1995 को सम्पन्न हुई । इस बैठक में मुख्यतः वर्ष 1995–96 की वार्षिक कार्य–योजना एवं बजट (ए0डब्लू0पी0बी0) अनुमानों पर विचार–विमर्श करके अन्तिम रूप दिया गया ।

(4) नीति शोध सलाहकार समिति –

नीति शोध सलाहकार समिति की दूसरी बैठक में लिये गये निर्णयानुसार कार्यालय ज्ञाप संख्या–853/स0शि0/नी0शो0स0स0/7/94–95, (टी.सी.) दिनांक 21 जनवरी, 1995 द्वारा शोध/अध्ययन के प्रस्तावों का परीक्षण, अनुमोदन, स्वीकृति तथा नियमित अनुश्रवण हेतु एक "विशेषज्ञ समिति" का गठन किया गया है। इस समिति ने दिनांक 20.01.1995 की बैठक में प्राप्त 19 प्रस्तावो का परीक्षण कर निम्नांकित 9 अध्ययनों का अनुमोदन कतिपय अकादमिक शर्तो सहित किया :–

S.No.	Name of Organisation	Topic
1.	U.P. Desco, Lucknow	Whether, to what extent, and for what reasons SC & ST children are more disadvantaged than other groups of children in terms of Primary School Participation (Enrolment, Attendance & Completion of Grade-V).
2.	Lucknow University	The attitudes of Primary School teachers towards their profession and suggestions for improvement.
3.	Lucknow University	A study of the participation of the community in Primary Education in rural areas.
4.	Lucknow University	To study the operational problems of lady teachers working in Parishad Primary Schools with special reference to their professional problems.
5.	Lucknow University	Identification of problems in girls' education at Primary level.
6.	Lucknow University	A study to develop a pro-active model to check the phenomena of dropping out and repetition, through identification of potential drop-outs and repetition in Primary Schools of Nainital Distt.

S.No.	Name of Organisation	Topic
7.	I I T, Kanpur	A study of parents' preferences for sending children to Private/Parishad Schools : Role of Social class & urban/rural residence.
8.	Dayalbagh Educational Institute, Agra	Perception of parents belonging to various Socio-economic Strata towards the education of girls.
9.	Chandra Shekher Azad University of Agri-culture & Technology, Kanpur.	Level of Primary School participation of Children of SC/ST and other Social groups.

(5) एम0 आई0 एस0 क्रियान्वयन समिति –

उ0प्र0–सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद की "मैनेजमेण्ट इनफॉरमेशन सिस्टम" समिति की दूसरी बैठक दिनांक 21 जनवरी, 1995 की सम्पन्न हुई । समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि विद्यालय सांख्यिकी से संबंधित सॉफट्वेयर जो राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली द्वारा तैयार किया गया है उसे "सोर्स कोड" सहित अविलम्ब प्राप्त किया जाय तथा भारत सरकार के प्रयोगार्थ डी0 पी0 ई0 पी0 का प्रोजेक्ट मानीटरिंग सॉफट्वेयर जिस संस्था से तैयार कराया जा रहा है उसी संस्था से विद्यालय सांख्यिकी का सॉफट्वेयर एवं इनपुट–आउटपुट फारमेट्स को प्रदेश की आवश्यकतानुसार संशोधित कराया जाय । सभी के लिए शिक्षा परियोजना के प्रोजेक्ट मानीटरिंग के सॉफट्वेयर की संरचना भी इसी संस्था से कराई जाय क्योंकि भारत सरकार से हुये अनुबन्ध के आधार पर यह संस्था (इण्टर कॉंटीनेन्टल कम्प्यूटर सिस्टम्स्) सॉफट्वेयर की सरंचना कर रहा है । यह संस्था सॉफट्वेयर की तैयारी सहित इसका क्रियाशीलन, ट्रबुल शूटिंग तथा प्रशिक्षण कार्य भी करेंगी । विश्व बैंक द्वारा निर्धारित "सिंग्गल कोर्स कन्सलटेन्सी" प्रक्रिया के अनुसार इस संस्था से अनुबन्ध राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा किया जाना है । इस हेतु रूपये 1.00 लाख प्रति मॉडयूल की दर से कुल रूपये 9.0 लाख तथा प्रशिक्षण क्रियाशीलन एवं ट्रबुल शूटिंग के लिये रूपये 2.0 लाख कुल रूपये 11.0 लाख व्यय होगा ।

(6) पाठ्यक्रम समीक्षा हेतु "नामिका" (पैनल) –

इस समिति की बैठक दिनांक 6 जनवरी, 1995 को सम्पन्न हुई । इस बैठक में राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित किये गये न्यूनतम अधिगम स्तर के सन्दर्भ में विचार–विमर्श हुआ तथा प्राथमिक स्तर (कक्ष–1 तथा 2) के संबंध में शिक्षक संदर्शिका तथा कार्य पुस्तिकाओं की संरचना के सन्दर्भ में निर्णय लिया गया तथा एक समय–सारिणी का भी निर्धारण किया गया, जिससे कि 30 जून, 1995 तक विकसित साहित्य मुद्रित कराकर वितरित हो सकें ।

शैक्षिक कार्यशालायें/गोष्ठियां

(1) राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के सहयोग से राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा 7–11, नवम्बर 1994 की अवधि में परियोजना के जनपद स्तरीय अधिकारियों, मुख्यतः विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी (विश्व बैंक परियोजना), जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी तथा उप विद्यालय निरीक्षकों की एक पाँच दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया ।

इस कार्यशाला मे 7 नवम्बर, 1994 को प्रो0 कुलदीप माथुर, निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान द्वारा उद्घाटन भाषण दिया गया ।

(ii) स्कूलों में विद्यार्थियों तथा अध्यापकों की उपस्थिति के संदर्भ में 26 नवम्बर, 1994 की एक दिवसीय विचार-गोष्ठी गोरखपुर जिला मुख्यालय पर आयोजित की गई । इसमें जन-प्रतिनिधियों, जिला पंचायत अध्यक्ष, मा0 विधायक, विकास खण्ड प्रमुख, ग्राम शिक्षा समितियों के सदस्यों, पत्रकार, मण्डलायुक्त, राज्य परियोजना निदेशक तथा राज्य परियोजना कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी, जिला-धिकारी एवं अध्यक्ष, जिला शिक्षा परियोजना समिति तथा इस समिति के अन्य सदस्य-गण, शिक्षा विभाग के अधिकारी तथा अन्य विभागीय अधिकारियें ने प्रतिभाग कर विचारों का आदान-प्रदान किया।

(iii) परियोजना जनपदों में सेवारत अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्राप्त अनुभवों के आधार पर आगामी शिविरों में गुणात्मकता में वृद्धि हेतु राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ में 24-25 दिसम्बर, 1994 को एक दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया ।

भ्रमण

(i) डॉ0 (श्रीमती) एंड्रिया बी0 रग, क्रियेटिव एसोसियेट्स, कन्सलटेन्ट फॉर यू.एस.ऐड ने दिनांक 11 नवम्बर 1994 को डॉ0 ऊषा नय्यर, विभागाध्यक्ष, एन0सी0ई0आर0टी0 के साथ लखनऊ भ्रमण पर आयी तथा इन्होंने बालिका तथा महिला शिक्षा से संबंधित राज्य परियोजना कार्यालय स्तर पर विचार-विमर्श किया ।

(ii) श्री आर0एल0 सुधीर, शिक्षा सचिव, हरियाणा सरकार ने दिनांक 8-10 दिसम्बर, 1994 की अवधि में प्रदेश का भ्रमण किया तथा परियोजना के संबंध में विचार-विमर्श किया तथा सीतापुर जनपद का स्थलीय निरीक्षण कर परियोजना की गतिविधि के क्रियान्वयन को देखा ।

(iii) श्री आर0सी0 त्रिपाठी, सलाहकार (शिक्षा), योजना आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली ने दिनांक 30 जनवरी, 1995 को बैठक राज्य परियोजना कार्यालय में ली, जिसमें उ0प्र0-"सभी के लिये शिक्षा" परियोजना के विभिन्न कार्यक्रमों/गतिविधियों के क्रियान्वयन तथा उसके अनुश्रवण की समीक्षा की ।

प्रस्ताव :-

यह टिप्पणी गत बैठक के निर्णयों की अनुपालन आख्या तथा परियोजना से संबंधित अद्यतन गतिविधियों से अवगत कराने तथा पृष्ठ 3 और 4 पर क्रमांक 4 तथा 5 मे उल्लिखित प्रस्तावों पर अनुमति प्रदान करने हेतु प्रस्तुत है ।

****

गत बैठक के बाद अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति से प्राप्त आदेशों का अनुसमर्थन

(1) स्क्रीनिंग/चयन समिति का पुनर्गठन कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 1 अक्टूबर, 1993 में लिये गये निर्णय के अनुसार राज्य परियोजना कार्यालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या–162/93–94, दिनांक 25 नवम्बर, 1993 द्वारा स्क्रीनिंग/चयन समिति का गठन किया गया था। जून, 1994 में पूर्णकालिक राज्य परियोजना निदेशक की नियुक्ति प्रदेश शासन द्वारा किये जाने पर अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति के आदेश प्राप्त कर कार्यालय ज्ञाप संख्या–256/स0शि0/अधि0/नियु0/18/94–95, दिनांक 3 अगस्त, 1994 द्वारा निम्नवत् स्क्रीनिंग/चयन समिति का गठन किया गया :–

क्रमांक	पदनाम	स्क्रीनिंग/चयन समिति
1	2	3
(1)	राज्य स्तरीय वरिष्ठ विशेषज्ञ, सांख्यिकीय अधिकारी, कम्प्यूटर प्रोग्रामर एवं जनपद स्तरीय विशेषज्ञ(परियोजना के राज्य तथा जनपद स्तरीय कार्यालयो के द्वितीय श्रेणी तथा उससे उच्च समस्त पद)	1. राज्य परियोजना निदेशक–अध्यक्ष, 2. शिक्षा निदेशक (बेसिक), 3. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद 4. विशेष सचिव(शिक्षा), प्रमुख सचिव (शिक्षा), एवं उपाध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति द्वारा नामित), 5. अपर राज्य परियोजना निदेशक।
(2)	सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी, लेखाकार, कम्प्यूटर ऑपरेटर, शिविर लिपिक, कनिष्ठ लेखा लिपिक, कनिष्ठ लिपिक एंव टंकक/लिपिक	1. राज्य परियोजना निदेशक–अध्यक्ष, 2. शिक्षा निदेशक (बेसिक), 3. निदेशक, उर्दू एंव प्राच्य भाषाएं 4. अपर राज्य परियोजना निदेशक।

2. पूर्णकालिक राज्य परियोजना निदेशक का पदस्थापन हो जाने पर निम्नांकित पदों के सृजन हेतु अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति के आदेश प्राप्त कर कार्यवाही की गई।

क्रमांक	पद का नाम	वेतनमान	पदों की संख्या
1	2	3	4
(1)	आशुलिपिक	1640–2900	1
(2)	वाहन चालक	950–1500	2
(3)	अर्दली(चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी)	750–940	1
(4)	चपरासी(चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी)	750–940	1
(5)	वाचमैन(चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी)	750–940	1

(3) उ0प्र0–सभी के लिये शिक्षा परियोजना की कार्यकारिणी समिति द्वारा विभिन्न समितियों/टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसमें शिक्षा निदेशक (बेसिक) एवं राज्य परियोजना निदेशक का एक साथ उल्लेख है। पूर्णकालिक राज्य परियोजना निदेशक की माह जून, 1994 में नियुक्ति हो जाने के उपरान्त एम0 आई0 एस0 क्रियान्वयन समिति एवं नीति शोध सलाहकार समिति में शिक्षा निदेशक (बेसिक) को पृथक से सदस्य के रूप में सम्मिलित करने हेतु अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति के आदेश प्राप्त किये गये तथा समिति तद्नुसार गठित की गई।

(4) परियोजना से आच्छादित जनपदों मे 1500 विद्यालय संकुल के भवनों का निर्माण न्याय पंचायत स्तर पर किया जा रहा है। विद्यालय संकुल संबंधित न्याय पंचायत में प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्कूलों के शैक्षिक/शिक्षणेत्तर कार्यक्रमों/गतिविधियों का यह केन्द्र-बिन्दु होगा। विद्यालय सकुंल पर एक प्रभारी अध्यापक दिया जाना है। कार्यक्रम समिति ने बैठक दिनांक 5.12.1994 तथा वित्त समिति ने बैठक दिनांक 13.12.1994 में विद्यालय संकुल के प्रभारी अध्यापकों के 1500 पदों (वेतनक्रम रू0 1350–2070) के सृजन की संस्तुति की। न्याय पंचायतों पर विभिन्न प्रकार की गतिविधियां जिसमें सेवारत अध्यापकों के प्रशिक्षण का अनुश्रवण हेतु मासिक विचार–गोष्ठी का आयोजन भी है, 6 जनपदों में प्रारम्भ हो चुका है। तात्कालिक आवश्यकता को देखते हुए सभापति, कार्यकारिणी समिति के आदेश प्राप्त कर निम्नांकित पदों के सृजन की कार्यवाही की गई :–

क्रामंक	पदनाम	वेंतनमान(रू0)	पदों की संख्या
1	2	3	4
1.	प्रभारी अध्यापक	1350–2070	1500

प्रस्ताव :–

उपर्युक्त उल्लिखित आदेशों का अनुसमर्थन (रैटीफिकेशन) किया जाय।

वर्ष 1993–94 में स्वीकृत कार्यक्रमों/गतिविधियों की प्रगति समीक्षा

वर्ष 1993–94 में नवीन प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय भवनों का निर्माण, जर्जर भवनों का पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना की जनपदवार भौतिक लक्ष्यो के संदर्भ में राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रत्येक माह की 05 तारीख की मासिक बैठक में समीक्षा की जाती है । वर्ष 1993–94 में स्वीकृत निर्माण कार्यों की कुल लागत सभी 8 मैदानी जनपदों को उपलब्ध करा दी गई है । दो पर्वतीय जनपद पौड़ी तथा नैनीताल को वर्ष 1993–94 में स्वीकृत निर्माण कार्या की कुल लागत का लगभग 50% धनराशि दी गई है । इन कार्यो के लिये प्रथम किश्त दिसम्बर, 1993 में तथा द्वितीय किश्त जून, 1994 के अन्तिम सप्ताह में परियोजना जनपदों को उपलब्ध कराई गई है । जनवरी, 1995 की मासिक बैठक में परियोजना जनपदों में दिनांक 31.12.94 तक की प्रगति की समीक्षा की गई है । प्राथमिक विद्यालय भवनों के निर्माण (संलग्नक–1), उच्च प्राथमिक विद्यालय भवनों के निर्माण (संलग्नक–2), विद्यालय भवन में विस्तार कार्य (संलग्नक–3 व 4) तथा ब्लाक संसाधन केन्द्र के निर्माण (संलग्नक–5) की सूचना संलग्न है ।

एजेण्डा बिन्दु-4
संलग्नक-I

प्राथमिक विद्यालय का भवन निर्माण - प्रगति आख्या (31/12/94)
(नवीन, पुनर्निर्माण पुर्नस्थापना)

क्र.सं.	जनपद	भौतिक लक्ष्य	ले-आउट	25%	50%	75%	पूर्ण	विवादित	अप्रारम्भ	योग	अभ्युक्ति
1.	गोरखपुर	150	- -	-	10	10	130	- -		150	
2.	वाराणसी	71	- -	10	49	- -	- -	- -	12	71	
3.	इलाहाबाद	128	- -	10	76	12	20	09	01	128	
4.	बॉदा	94	01	25	39	28	- -	01		94	
5.	सीतापुर	151	03	31	92	04	- -	12	09	151	
6.	इटावा	133	- -	12	16	41	55	09	-	133	
7.	अलीगढ़	66	05	04	31	10	06	06	04	66	
8.	सहारनपुर	55	--	- -	02	06	47	- -		55	
9.	पौडी	86	10	40	15	- -	-	-	21	86	
10.	नैनीताल	66	05	07	39	--	- -	01	14	66	
	योग	**1000**	**24**	**139**	**369**	**111**	**258**	**38**	**61**	**1000**	

उच्च प्राथमिक विद्यालय का भवन निर्माण - प्रगति आख्या (31/12/94)
(नवीन, पुनर्निर्माण पुर्नस्थापना)

क्र.सं.	जनपद	भौतिक लक्ष्य	ले–आउट	25%	50%	75%	पूर्ण	विवादित	अप्रारम्भ	योग	अभ्युक्ति
1.	गोरखपुर	57	-	--	06	06	45	--	--	57	
2.	वाराणसी	34	---	---	29	01	---	01	03	34	
3.	इलाहाबाद	64	--	06	39	05	08	02	04	64	
4.	बॉदा	27	---	06	09	12	--	--		27	
5.	सीतापुर	48	02	08	30	02	--	01	05	48	
6.	इटावा	62	--	01	09	21	27	04	–	62	
7.	अलीगढ़	34	02	--	16	07	05	01	03	34	
8.	सहारनपुर	08	---	02	---	---	06	--		08	
9.	पौड़ी	61	7	20	--	--	--	-	34	61	
10.	नैनीताल	21	02	04	13	--	--	01	01	21	
	योग	**416**	**13**	**47**	**151**	**54**	**91**	**10**	**50**	**416**	

विद्यालय भवन का विस्तार कार्य - प्रगति आख्या (31/12/94)

क्र.सं.	जनपद	भौतिक लक्ष्य		प्रारम्भ		25%		50%		75%		पूर्ण		विवादित		अप्रारम्भ		योग		
		एक कक्ष	दो कक्ष	एक कक्ष	दो कक्ष	एक कक्ष	दो कक्ष	एक कक्ष	दो कक्ष	एक कक्ष	दो कक्ष	एक कक्ष	दो कक्ष	एक कक्ष	दो कक्ष	एक कक्ष	दो कक्ष	एक कक्ष	दो कक्ष	
1.	गोरखपुर	9	10	-	-	-	--	1	1	0	3	8	6	--	--	-	0	9	10	
2.	वाराणसी	11	0	--	--	--	0	1	0	9	--	-	-	---	--	1	-	11	0	
3.	इलाहाबाद	27	10	2	1	-	-	14	7	3	--	4	2	1	--	3	--	27	10	
4.	बाँदा	33	3	--	0	4	--	18	2	9	1	1	--	-		1	0	33	3	
5.	सीतापुर	76	5	20	--	18	2	28	2	-	--	-	--	--	-	10	1	76	5	
6.	इटावा	25	2	9	0	2	0	2	--	3	0	9	2	--	--	--	0	25	2	
7.	अलीगढ़	10	5	5	--	--	--	1	1	1	2	1	-	-	--	2	2	10	5	
8.	सहारनपुर	35	10	--	--	--	0	--	--	2	1	33	9	--	--	--	-	35	10	
9.	पौड़ी	46	0	--	--	-	-	--	-	--	--	--	-	-	--	46	0	46	0	अद्यतन स्थिति अप्राप्त 1
10.	नैनीताल	28	4	3	--	4	0	6	0	-	--	-			-	15	4	28	4	
	योग	**300**	**49**	**39**	**1**	**28**	**2**	**71**	**13**	**27**	**7**	**56**	**19**	**1**		**78**	**7**	**300**	**49**	

एजेण्डा बिंदु-4

संलग्नक-4

शौचालय/पेयजल व्यवस्था - प्रगति आख्या (31/12/94)

क्रमसं.	जनपद	भौतिक लक्ष्य		प्रारम्भ		पूर्ण		विवादित		अप्रारम्भ		योग	
		शौचालय	पेयजल	शौचालय	पेयजल	शौचालय	पेयजल	शौचालय	पेयजल	शौचालय	पेयजल	शौचालय	पेयजल
1.	गोरखपुर	92	50	12	20	80	30	--	-	-	--	92	50
2.	वाराणसी	102	52	54	--	06	48	-	--	42	04	102	52
3.	इलाहाबाद	199	165	30	57	112	108	--	--	57	-	199	165
4.	बाँदा	280	170	70	--	201	--		-	09	170	280	170
5.	सीतापुर	161	138	118	--	--	--	--	-	43	138	161	138
6.	इटावा	115	75	58	25	32	30	--		25	20	115	75
7.	अलीगढ़	104	78	26	38	11	28	--		67	12	104	78
8.	सहारनपुर	90	90	10	--	80	90			-		90	90
9.	पौड़ी	155	155	--	--	-	--	-	-	155	155	155	155
10.	नैनीताल	113	81	--	--	-	-	--		113	81	113	81
	योग	**1411**	**1054**	**378**	**140**	**522**	**334**			**511**	**580**	**1411**	**1054**

एजेण्डा बिन्दु-4

संलग्नक-5

ब्लाक सन्दर्भ केन्द्र - निर्माण कार्य की प्रगति आख्या (31/12/94)

क्र0सं0	जनपद	भौतिक लक्ष्य	निर्माण की प्रगति					हस्तान्तरण	अभ्युक्ति
			अप्रारम्भ	25%	50%	75%	पूर्ण		
1	गोरखपुर	19	--	--	--	01	18	10	
2	वाराणसी	22	02	--	--	--	20	16	
3	इलाहाबाद	28	--	01	--	--	27	24	
4	बाँदा	13	--	--	--	--	13	×	
5	सीतापुर	19	01	01	--	--	17	16	
6	इटावा	14	01	--	--	--	13	05	
7	अलीगढ	17	01	--	--	01	15	09	
8	सहारनपुर	11	--	--	--	--	11	11	
9	पौडी	15	--	01	07	06	01	×	अद्यतन स्थिति अप्राप्त।
10	नैनीताल	15	--	--	--	--	15	08	
	योग	173	05	03	07	08	150	99*	

* सशर्त हस्तान्तरण ।

वर्ष 1994-95 में स्वीकृत गतिविधियों/कार्यक्रमों की प्रगति

(ए) संस्थागत क्षमता में वृद्धि

(ए-1) स्कूल मैपिंग और माइक्रोप्लानिंग -

स्कूल मैपिंग तथा माइक्रो प्लानिंग अभ्यास से परियोजना के प्रत्येक जनपद मे ज्ञात किया जायेगा कि किस स्थान/क्षेत्र में किस प्रकार की शैक्षिक व्यवस्था की क्या आवश्यकता है। इस अभ्यास के लिए प्रथम चरण में प्रत्येक जनपद के तीन विकास खण्डो को वर्ष 1994-95 मे लिया गया है । संशोधित आय-व्ययक अनुमान मे रू0 10 लाख की व्यवस्था की गयी है।

(ए-2) जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान का क्रियाशीलन -

जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान एक केन्द्र पुरोनिधानित योजना है। इस संस्थान में छात्रावास का एक अतिरिक्त खण्ड तथा पेयजल हेतु ट्यूबवेल की व्यवस्था के लिए रू0 14.50 लाख की दर से स्वीकृति प्रदान की गयी है । यह कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है। वर्ष 1993-94 मे सात जनपदों को यह धनराशि प्रदान की गयी थी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक संस्था के सुदृढीकरण के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता भी दी जायेगी । जनपद स्तर पर जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय भूमिका है। पुनरीक्षित आय-व्ययक अनुमान रू0 129 लाख है ।

(ए-3) ब्लाक संसाधन केन्द्र -

परियोजना जनपद मे प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर ब्लाक संसाधन केन्द्र की स्थापना की संकल्पना है । यह केन्द्र विकास खण्ड स्तर पर शिक्षा की विभिन्न गतिविधियाँ, प्रशिक्षण की कार्यशालायें, अन्य शैक्षिक तथा पाठ्योत्तर क्रिया-कलापो का केन्द्र है। ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा पूर्ण निर्मित 150 भवनों मे से 99 भवन विभाग को हस्तान्तरित हो चुके है।

(ए-4) परियोजना प्रबन्धन (राज्य स्तर) -

राज्य स्तर पर परियोजना प्रबन्धन हेतु राज्य परियोजना कार्यालय की स्थापना लखनऊ मे की गयी है। राज्य परियोजना निदेशक इस कार्यालय के प्रमुख है। यह कार्यालय राज्य स्तर पर परियोजना संबंधित सभी पहलुओ/कार्यक्रमो/गतिविधियो के कार्यान्वयन/समन्वयन/मार्गदर्शन के लिए उत्तरदायी है। परियोजना के लिए पदेश के आय-व्ययक के वित्तीय प्रावधानानुसार स्वीकृतियाँ प्राप्त करना, परियोजना जनपदों का वित्तीय ससाधन सुलभ करना, धनराशि के व्यय/उपभोग का विवरण प्राप्त करना तथा प्रतिपूर्ति, के दावो को प्रेषित करना भी इस कार्यालय के प्रमुख दायित्वो मे हैं। इस कार्यालय द्वारा '**शैक्षिक प्रेक्षक**' नाम त्रैमासिक परियोजना समाचार पत्र का प्रकाशन किया जाता है। पुनरीक्षित आय-व्ययक रू0 115 लाख है।

(ए-5) जनपद स्तरीय परियोजना प्रबन्धन (अनुश्रवण व मूल्यांकन) -

परियोजना जनपदो मे एक सहायक निदेशक(विशेषज्ञ) के पदो का सृजन किया गया है। यह कार्यालय परियोजना से सबधित विभिन्न गतिविधियो के क्रियान्वयन, अन्य कार्यालय/विभाग से समन्वय तथा वार्षिक कार्ययोजना संरचना के लिए मुख्यत: उत्तरदायी है। पुनरीक्षित आय-व्ययक अनुमान रू0 130 लाख है।

(ए-6) राज्य शैक्षिक प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान (एस0आई0ई0एम0टी0) -

राज्य स्तर पर राज्य शैक्षिक प्रबन्धन और प्रशिक्षण सस्थान की एक स्वतंत्र संस्था के रूप मे स्थंपना हेतु इसके **'मेमोरेण्डम आफ एसोसियेशन एण्ड रूल्स'** का पंजीकरण सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अधीन दिनांक 17.11.94 को कराया गया है। इसकी कार्यकारिणी समिति की प्रथम बैठक दिनांक 16.1.95 को सम्पन्न हुयी तथा आवश्यक पद सृजन वर्ष 1994-95 का आय-व्ययक का अनुमोदन प्रदान किया गया । निदेशक तथा दो विभागाध्यक्षो के पदों को भरने हेतु विज्ञापन निकाला जा चुका है ।

(बी-6) गुणवत्ता मे सुधार एवं पूर्णता -

(बी-1) जनपद स्तर पर सॉफटवेयर का निर्माण -

प्रत्येक जनपद मे सभी के लिए शिक्षा हेतु वातावरण सृजन, जनगतिशीलता, बाल एवं महिला शिक्षा, सतत् शिक्षा, समाज के अपवन्चित वर्ग के बच्चो के लिए शिक्षा आदि प्रमुख संघटकों के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियॉ जो स्थानीय परिवेश पर आधारित हो, के आयोजन तथा जन-संचार माध्यम का अधिकतम उपयोग करने के लिए कार्यक्रम तैयार कराने के निर्देश दिये गये है। इस हेतु इस वर्ष रू0 7 लाख का संशोधित प्रावधान है। परियोजना जनपदों द्वारा समय-सारिणी तैयार कराकर कार्यक्रम कराये जा रहे है ।

(बी-2) प्राथमिक स्कूल भवनों का पुर्ननिर्माण -

वर्ष 1994-95 मे ऐसे 361 स्कूलों के जीर्ण-शीर्ण अथवा जर्जर भवनो के पुननिर्माण का लक्ष्य है। इसकी इकाई लागत मैदानी क्षेत्रो मे रू0 1.75 लाख तथा पर्वतीय क्षेत्रो मे रू0 2 लाख है। इस कार्य के लिए अभी धनराशि अवमुक्त नही की गयी है।

(बी-3) उच्च प्राथमिक स्कूलों के भवनों का पुर्ननिर्माण -

वर्ष 1994-95 मे 102 भवनो के निर्माण का लक्ष्य है। इसकी इकाई लागत मैदानी क्षेत्रों मे रू0 2.30 लाख तथा पर्वतीय क्षेत्रों मे रू0 2.55 लाख है। सम्प्रति निर्माण कार्य हेतु धनराशि अवमुक्त नहीं की गयी है।

(बी-4) विस्तार कार्य:-

(डी) वर्ष 1994-95 में 355 एकल कक्षा-कक्ष प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्कूलों मे निर्माण का लक्ष्य है।

(ख) वर्ष 1994-95 में 84 दो-कक्षा-कक्ष प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्कूलों में निर्माण का लक्ष्य है।

(ग) शौचालय व्यवस्था- वर्ष 1994-95 मे 4378 प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्कूलों मे निर्माण का लक्ष्य है। मैदानी जनपदों मे 1500 शौचालयों के लिए रू0 2.25 करोड दिया जा चुका है। प्रगति विवरण संलग्नक-3 पर है।

(घ) पेयजल व्यवस्था-वर्ष 1994-95 मे 2095 प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्कूलो मे शुद्ध पेयजल की व्यवस्था का लक्ष्य है। इसकी इकाई लागत रू0 20 हजार निधारित की गयी है। वर्ष 1994-95 मे मैदानी जनपदो के 1000 विद्यालयो मे पेयजल व्यवस्था हेतु 1.5 करोड रू0 दिया जा चुका है। प्रगति विवरण संलग्नक-4 पर है। क्रमांक 'क' 'ख' पर उल्लिखित कार्यो तथा 'ग' एवं घ' के कार्यो हेतु निर्धारित लक्ष्यों के लिए अपेक्षित धनराशि अवमुक्त नहीं की गयी है।

(बी-5) विद्यालय भवनों की मरम्मत एवं रख-रखाव:-

स्कूल भवनो की मरम्मत एवं रख-रखाव के लिए वर्ष 1994-95 मे रू0 287 2 लाख व्यय किये जाने का प्रारम्भिक अनुमान था। स्कूल मैपिंग तथा माइक्रो प्लानिंग का अभ्यास पूर्ण न होने के कारण इस वर्ष यह कार्यक्रम प्रारम्भ नहीं किया जायेगा ।

(बी-6) प्राथमिक स्कूल के प्रधानाध्यापको के पदों का उच्चीकरण -

परियोजना के 10 जनपदों में 2262 ऐसे प्राथमिक स्कूल है जहाँ पर समान वेतनमान के दो सहायक अध्यापक हैं। उन दो अध्यापको मे से एक सहायक अध्यापक के पद का उच्चीकरण प्रधानाध्यापक के पद पर किया गया है । इन पदों पर वेतन पर होने वाले व्यय के लिए रू0 24 35 लाख मैदानी परियोजना जनपदों को दिया जा चुका है।

(बी-7) प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापको के अतिरिक्त पद:-

प्राथमिक स्कूलो मे बालक/बालिकाओ के नामांकन में वृद्धि के फलस्वरूप सहायक अध्यापकों के अतिरिक्त पदो के सृजन के कार्यक्रम का समावेश परियोजना में है किन्तु वास्तविक आवश्यकतानुसार ही पदों का सृजनकिया जायेगा ।

(बी-8) ई0सी0सी0ई0 केन्दों का खोला जाना:-

आई0सी0डी0एस0 से अनाच्छादित विकास खण्डो मे **'अर्ली चाइल्ड केयर एण्ड एजूकेशन'** (ई0सी0सी0ई0) केन्द्रो के चलाने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। यह कार्यक्रम चरणवद्ध रूप में क्रियान्वित होगा । सम्प्रति सचिव महिला एव बाल विकास से विचार विमर्श करके 100 केन्द्रों के संचालन की कार्यवाही की जा रही है। कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु यह आवश्यक है कि इसे आई0सी0डी0एस0 से आच्छादित विकास खण्डों मे संचालित किया जाय।

(बी-9) विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण:-

परियोजना के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ने वाले बालक/बालिकाओ का सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण किया जाना है । इस हेतु चिकित्सा विभाग से (सभी जनपदो को भेजे जा चुके हैं। विद्यार्थी स्वास्थ्य परीक्षण के कार्ड मे एकरूपता की दृष्टि से राज्य स्तर पर मुद्रित कराकर वितरित किया गया है। पुनरीक्षित आय-व्ययक रू0 9.90 लाख है।

(बी-12) बालिकाओं के लिए कार्यानुभव कार्यक्रम:-

उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के लिए 30 चयनित विकास खण्डों में एक-एक उच्च प्राथमिक स्कूलो मे बालिकाओ के कार्यानुभव का मार्गदर्शी (पाइलेट) कार्यक्रम संचालित किया जायेगा । 3 वर्षो के उपरान्त इसके अनुभव की समीक्षा करके इसका विस्तार किया जायेगा वर्ष 1994-95 इस कार्यक्रम का प्रथम वर्ष होगा । इस योजना का अनुमोदन आई0डी0ए0 से प्रापत हो गया है । कार्यानुभव कार्यक्रम के लिए विद्यालयों के चयन की कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है।

(बी-13) महिला सामख्या :-

महिलाओं में जागरूकता लाने तथ उनके स्तर को सुधारने के दृष्टिकोंण से प्रदेश के चार जनपदो (वाराणसी, बांदा, सहारनपुर तथा टिहरी-गढवाल) मे यह योजना संचालित है। इन चार जनपदों मे से परियोजना के तीन जनपद आच्छादित हैं । इलाहाबाद तथा पौड़ी जनपद मे इस कार्यक्रम का विस्तार वर्ष 1994-95 मे किया गया है तथा शेष पाच जनपदों को भी आगामी 2 वर्षो में आच्छादित किया जायेगा । महिला समाख्या कार्यक्रम का अनुमोदन आई0डी0ए0 से प्रापत हो गया है और एम0ओ0यू0 पर हसताक्षर हो चुके है तथा प्रथम किश्त की धनराशि रू0 32.14 लाख अवमुक्त कर दी गयी है।

(बी-14) अनुसूचित जाति तथा जनजाति की बालिकाओं के लिए छात्रवृत्ति -

अनुसूचित जाति तथा जनजाति की सभी बालिकाओं को छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने की एक मार्गदर्शी (पाइलट) कार्यक्रम प्रत्येक परियोजना जनपद के एक विकासखण्ड के 10 विद्यालयो मे संचालजित किया जायेगा । यह छात्रवृत्ति समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रदान की जा रही छात्रवृत्ति के समान होगी । इस कार्यक्रम को लगातार दो वर्षो तक सचालित किया जायेगा । इस योजना का अनुमोदन आई0डी0ए0 से प्रापत हो गया है । छात्रवृत्ति के लिए अर्हबालिकाओं के चयन की कार्यवाही कर ली गयी है।

(बी-15) प्रशिक्षण कार्यक्रम:-

परियोजना में जनपद स्तर पर जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान, विकास खण्ड स्तर पर **'ब्लाक संसाधान केन्द्र'** तथा न्याय पंचायत स्तर पर **'विद्यालय संकुल'** की व्यवस्था विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए है। इसके माध्यम से सेवारत अध्यापकों को पुनर्बोधात्कक तथा/अथवा कौशल आधारित प्रशिक्षण, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यो का पुनर्बोधन कराने तथा

इसके अतिरिक्त शिक्षा तथा अन्य विभाग के विभिन्न स्तर के कर्मियों का भी प्रशिक्षण आयोजित कराने का लक्ष्य है। सेवारत अध्यापको के प्रशिक्षण हेतु एन0सी0आर0ई0टी0 द्वारा 40 मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षित किये गये तथा जनपद स्तर पर मास्टर ट्रेनर्स ने 350 रिसोर्स पर्सन्स को प्रशिक्षित किया। रिसोर्स पर्सन्स द्वारा विकास खण्ड स्तर पर अध्यापको को प्रशिक्षित किया जाता है । प्रत्येक माह के चौथे शनिवार को एक दिवसीय अनुश्रवण कार्यशाला का आयोजन विद्यालय संकुल स्तर पर किया जाता है।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों मे प्रशिक्षण के उपागम, सहयोगी अधिगम के लिए पढ़ना, न्यूनतम अधिगम स्तर की प्राप्ति हेतु प्रभावी शिक्षण, सहपाठियो को पढाना, बहुश्रेणी शिक्षण, स्कूली शिक्षा के लिए तैयारी, मूल्यांकन तथा शिक्षण-पठन सामग्री आदि विषयों का समावेश किया गया है। प्रशिक्षण के उपरान्त प्रत्येक अध्यापक को अपने विद्यालय मे प्रयोग हेतु सामग्री का एक किट भी प्रदान किया जाता है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम की मार्च, 1994 तक की सारिणी तैयार कार्यक्रम आयोजित कराये जा रहे हैं (संलग्नक-1)

(बी-16) अध्यापक जर्नल का प्रकाशन:-

परियोजना से संबधित तथा शिक्षा के क्षेत्र से संबधित विभिन्न महत्वपूर्ण तथ्यों, शिक्षण विद्या, शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया आदि की जानकारी प्रदान करने के लिए **'संकल्प'** नामक अध्यापक जर्नल का प्रकाशन राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा कराया जा रहा है। अब तक चार अंक प्रकाशित हो चुके है।

(बी।7) पाठ्यक्रम में सुधार व समीक्षा:-

प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम की समीक्षा तथा न्यूनतम अधिगम स्तर को सुनिश्चित कराने हेतु पाठ्यक्रम मे सुधार का दायित्व राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का है। इस हेतु उत्तर प्रदेश सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद नामक **'पैनेल'** का भी गठन हो चुका है तथा इसकी बैठक भी हुई हैं।

(बी-19) परीक्षण एवं मापन:-

न्यूनतम अधिगम स्तर को सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से परीक्षण एव मापन के लिए रू0 10 लाख की व्यवस्था की गयी है। यह कार्य राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के माध्यम से किया जाना है।इस वर्ष प्रारम्भिक तैयारी हेतु एक कार्यशाला का आयोजन प्रस्तावित है।

(बी-20) अध्यापक संदर्शिका व अनुपूरक पठन-सामग्री -

न्यूनतम अधिगम स्तर के अनुरूप पाठ्यक्रम में सुधार तथा अपेक्षित दक्षताओं का समावेश करते हुये नवीन पाठ्य पुस्तकों की संरचना का कार्य राज्य शैक्षिक अनुसधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा किया जाना है। इस परिषद द्वारा प्रारम्भिक कार्यवाही कर ली गयी है तथा इससे संबंधित कार्यशाला का आयोजन भी इस वर्ष प्रस्तावित है।

(बी-21) शिक्षण अधिगम सामग्री की व्यवस्था :-

पूर्व संचालित स्कूलों मे शिक्षण अधिगम सामग्री आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है । यह कार्यक्रम इस वित्तीय वर्ष मे प्रारम्भ नहीं जा सकेगा क्योंकि नीपा द्वारा स्कूल सांख्यिकी संकलन का **'साफटवेयर'** समय से उपलब्ध नहीं कराया गया है। अत: अपेक्षित सूचना संकलित नहीं हो सकी है।

(बी-22) विद्यालय संकुल :-

प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर एक विद्यालय संकुल की स्थापना की जायेगी । कुल 1500 विद्यालय संकुल के भवन (5 6×10 मी0 का एक बड़ा कक्ष, 5.6×2.5 मी0 बराण्डा) का निर्माण कराया जायेगा। 466 विद्यालय संकुलों के लिए उनकी निर्माण लागत का लगभग 50% रू0 417.83 लाख परियोजना जनपदो को दिया जा चुका है। पुनरीक्षित आय-व्ययक अनुमान रू0 141.9 लाख है इससे 615 विद्यालय संकुल निर्मित हो सकेगे ।

(बी-23) ग्राम शिक्षा समितियो की प्रोत्साहन :-

प्रत्येक विकास खण्ड की एक शिक्षा समिति को सभी के लिए परियोजना के क्रियान्वयन हेतु उत्कृष्ट कार्य के लिए रू0 25 हजार प्रोत्साहन स्वरूप दिये जाने का प्रस्ताव है। ग्राम शिक्षा समितियो को प्रोत्साहन अनुदान से सम्बन्धित कार्यक्रम की टिप्पणी एजेन्डा विन्दु-9 पर है।

(बी-24) बेस लाइन अध्ययन :-

परियोजना के प्रभावी के पूर्व वाराणसी सीतापुर तथा नैनीताल जनपदो का बेस लाइन अध्ययन कराया जा चुका है। शेष 7 जनपदों त एक नियंत्रित जनपद (बाराबंकी) का बेस लाइन अध्ययन - तीन संस्थाओ (गोविन्द बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान,इलाहाबाद, यू0पी0 डेस्को, लखनऊ तथा राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, लखनऊ) के माध्यम से सम्पन्न कराने हेतु इन संस्थाओ द्वारा सर्वेक्षण के लिए चयनित मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण एन0सी0ई0आर0टी0 के सहयोग से पूर्ण कर लिया गया है । सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है। प्रारम्भिक आख्या/प्रतिवेदन मार्च 1995 तक प्राप्त हो जायेगी।

सी-पहुंच में सुधार

(सी-1) प्राथमिक स्कूलों का खोला जाना :-

प्रदेश मे निर्धारित मानक(1.5 कि0मी0 की परिधि तथा 300 की जनसंख्या एवं पर्वतीय क्षेत्रों मे एक किलोमीटर की दूरी पर एक प्राथमिक स्कूल) के आधार पर वर्ष 1994-95 में 739 प्राथमिक स्कूल खोलने का लक्ष्य है इस भवन की अधिकतम लागत मैदानी क्षेत्र में रू0 1.75 लाख तथा पर्वतीय क्षेत्र में रू0 2 लाख है । वर्ष 1994-95 मे मैदानी जनपदों में 650 प्राथमिक विद्यालयो के लिए रू0 848.6 लाख परियोजना जनपदों को अवमुक्त किया जा चुका है। प्रगति विवरण संलग्नक-2 पर है।

(सी 2) उच्च प्राथमिक स्कूलों का खोला जाना

प्रदेश मे निर्धारित मानक(मैदानी क्षेत्र मे 3कि0मी0 की परिधि तथा 800 जनसंख्या पर एक उच्च प्राथमिक स्कूल) के आधार पर वर्ष 1994-95 में 452 उच्च प्राथमिक स्कूल खोलने का लक्ष्य है। इस भवन की अधिकतम लागत मैदानी क्षेत्रो मे रू0 2.30 लाख तथा पर्वतीय क्षेत्रों रू0 2.55 लाख है। वर्ष 1994-95 में मैदानी जनपदों में 390 उच्च प्राथमिक विद्यालयो के लिए रू0 784.78 लाख परियोजना जनपदों को अवमुक्त किया जा चुका है । प्रगति विवरण संलग्न-3 पर है।

(सी-3) नगर क्षेत्रों में स्कूलो की पुर्नस्थापना

(क) प्राथमिक स्कूल-नगर क्षेत्र में ऐसे प्राथमिक स्कूल जो असुरक्षित भवनों मे चल रहे है तथा/अथवा जिन्हें एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र मे स्थानान्तरित किया जाना है, के पुनेस्थापन की दृष्टि से वर्ष 1994-95 मे 69 प्राथमिक स्कूलो का लक्ष्य रखा गया है। इसकी इकाई लागत प्राथमिक स्कूल भवनों के निर्माण के समान है।

(ख) उच्च प्राथमिक स्कूल - नगर क्षेत्र में ऐसे प्राथमिक स्कूल असुरक्षित भवनो में चल रहे है तथा/अथवा जिन्हें एक क्षेत्र में स्थानान्तरित किया जाना है,के पुर्नस्थापन की दृष्टि से वर्ष 1994-95 मे 2 उच्च प्राथमिक स्कूलो का लक्ष्य है। इसकी इकाई लागत उच्च प्राथमिक स्कूलो के निर्माण के समान है।

(सी-4) अनोपचारिक शिक्षा केन्द्रो का खोला जाना

अनौपचारिक शिक्षा की योजना एक केन्द्र पुरोनिधानित योजना है। यह योजना प्रदेश के प्रत्येक जनपद में संचालित है । परियोजना जनपदों में इसके अतिरिक्त अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम को मार्गदर्शी (पाइलेट) कार्यक्रम के रूप मे सचालित किया जायेगा जो स्थानीय आवश्यकता/मांग पर आधारित होगी । जनपद में स्कूल-मैपिग तथा माइक्रोप्लानिग का अभ्यास पूर्ण होने पर आवश्यकतानुसार इन केन्द्रो के खोले जाने का निर्णय लिया जायेगा।

अद्यतन व्यय तथा दावो के प्रतिपूर्ति से सबंधित विवरण सलग्नक 5 पर है।

एजेण्डा बिन्दु 5

(अनुलग्नक 1)

सेवारत अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम की भौतिक प्रगति (संख्यात्मक विवरण)

क्रमांक	जनपद का नाम	उपलब्धि नवम्बर--दिसम्बर, 1994		प्रस्तावित जनवरी-मार्च 1995		योग	
		शिविर संख्या	प्रतिभागी सख्या	शिविर सख्या	प्रतिभागी सख्या	शिविर (3+5)	प्रतिभागी(4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
(1)	वाराणसी	40	1400	42	1260	82	2660
(2)	गोरखपुर	30	1050	39	1170	69	2220
(3)	इलाहाबाद	40	1400	52	1560	92	2960
(4)	इटावा	18	630	26	780	44	1410
(5)	अलीगढ़	30	1050	31	930	61	1980
(6)	सहारनपुर	06	210	22	660	28	870
	योग	**164**	**5740**	**212**	**6360**	**376**	**12100**

एजेण्डा बिन्दु -5
संलग्नक-2

वर्ष 1994-95 में स्वीकृत निर्माण कार्य - प्रगति विवरण
(प्राथमिक विद्यालय भवन निर्माण)

क्र.सं.	जनपद का नाम	भौतिक लक्ष्य	स्वीकृत धनराशि (लाख रु0 में)	खोले गये खातों की संख्या	संयुक्त खातों में हस्तान्तरित धनराशि	उपलब्धि							योग
						ले-आउट	25%	50%	75%	पूर्ण	विवादित	अप्रारम्भ	
1	गोरखपुर	74	64.75	74	64.75	--	--	--	--	--	--	74	74
2	वाराणसी	58	50.75	--	--	--	--	--	--	--	--	58	58
3	इलाहाबाद	118	103.25	--	--	--	--	--	--	--	--	118	118
4	बाँदा	57	49.88	57	35.00	15	5	--	--	--	--	37	57
5	सीतापुर	145	126.88		----	स्थल चयन की कार्यवाही नहीं हुई है ।					----	145	145
6	इटावा	93	81.38	93	70.00	15	--	7	5	--	--	66	93
7	अलीगढ	65	56.88	--	--	--	--	--	--	--	--	65	65
8	सहारनपुर	40	35.00	--	--	--	--	--	--	--	--	40	40
9	पौडी	42	--	--	--	--	--	--	--	--	--	42	42
10	नैनीताल	47	--	--	--	--	--	--	--	--	--	47	47
	योग	**739**	**568.77**	**224**	**169.75**	**30**	**5**	**7**	**5**	--	--	**692**	**739**

टिप्पणी :-

उक्त प्रगति विवरण वर्ष 1994-95 में खोले जाने वाले नवीन प्राथमिक विद्यालयों के भवन निर्माण क सम्बन्ध मे है । इन कार्यो के लिए कुल धनराशि का 50% अवमुक्त किया गया है । वर्ष 1994-95 में 361 प्राथमिक विद्यालयों के पुनर्निर्माण तथा 69 प्राथमिक विद्यालयों की पुनर्स्थापना का लक्ष्य है । इन कार्यो के लिए धनराशि उपलब्ध होने पर परियोजना जनपदों को दी जायगी । पर्वतीय जनपदों के लिये कोई धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है ।

एजेण्डा बिन्दु- 5
सलग्नक-3

वर्ष 1994-95 में स्वीकृत निर्माण कार्य - प्रगति विवरण

(उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन निर्माण)

क्र.सं.	जनपद का नाम	भौतिक लक्ष्य	स्वीकृत धनराशि (लाख रू0 में)	खोले गये खातों की संख्या	संयुक्त खातें में हस्तान्तरित धनराशि	उपलब्धि							
						ले-आउट	25%	50%	75%	पूर्ण	विवादित	अप्रारम्भ	योग
1	गोरखपुर	12	13.80	112	11.5	--	--	--	--	--	--	12	12
2	वाराणसी	47	54.04	--	--	--	--	--	--	--	--	47	47
3	इलाहाबाद	66	75.90	--	--	--	--	--	--	--	--	66	66
4	बाँदा	38	43.70	138	36.8	5	8	2	--	--	--	23	38
5	सीतापुर	84	96.60		----	स्थल चयन की कार्यवाही नही हुई है ।					---	84	84
6	इटावा	95	109.25	95	59.8	12	--	6	4	--	--	73	95
7	अलीगढ	38	43.60	--	--	--	--	--	--	--	--	38	38
8	सहारनपुर	10	11.50	--	--	--	--	--	--	--	--	10	10
9	पौडी	31	--	--	--	--	--	--	--	--	--	31	31
10	नैनीताल	31	--	--	--	--	--	--	--	--	--	31	31
	योग	**452**	**448.40**	**145**		**17**	**8**	**8**	**4**	**--**	**--**	**415**	**452**

टिप्पणी :-

उक्त प्रगति विवरण वर्ष 1994-95 में खोले जाने वाले नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवन निर्माण के सम्बन्ध - मे है । इस कार्य के लिये कुल धनराशि का 50% अवमुक्त किया गया है । वर्ष 1994-95 मे 102 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के पुनर्निर्माण तथा 02 उच्च प्राथमिक विद्यालयों की पुनर्स्थापना का लक्ष्य है । इन वर्षो के लिए धनराशि उपलब्ध होने पर परियोजना जनपदों को दी जायेगी । पर्वतीय जनपदों के लिये कोई धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है ।

वर्ष 1994-95 में स्वीकृत निर्माण कार्य - प्रगति विवरण
(विस्तार कार्य)

क्र0सं0	जनपद का नाम		भौतिक लक्ष्य	स्वीकृत धनराशि (लाख रू0 में)	खाले गये खातो की सख्या	संयुक्त खातों में हस्तान्तरित धनराशि	उपलब्धि						यो
							प्रारम्भ	25%	50%	75%	पूर्ण	विवादित	अप्रारम्भ
1	गोरखपुर	शौचालय	283	15									
		पेयजल	115	15									
2	वाराणसी	शौचालय	361	15									
		पेयजल	122	15									
3	इलाहाबाद	शौचालय	709	15									
		पेयजल	354	15									
4	बाँदा	शौचालय	412	15									
		पेयजल	178	15									
5	सीतापुर	शौचालय	573	15									
		पेयजल	299	15									
6	इटावा	शौचालय	404	15									
		पेयजल	159	15									
7	अलीगढ	शौचालय	369	15									
		पेयजल	169	15									
8	सहारनपुर	शौचालय	312	15									
		पेयजल	188	15									
9	पौडी	शौचालय	553	--									
		पेयजल	337	--									
10	नैनीताल	शौचालय	402	--									
		पेयजल	174	--									
	योग	**शौचालय**	**4378**	**120**									
		पेयजल	**2095**	**120**									

- शौचालयों के लिये विद्यालयों का चयन सभी जनपदों मे हो चुका है ।
- पेयजल व्यवस्था के लिये निर्माण इकाई का चयन जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा किया जा रहा है ।

टिप्पणी:- 4378 शौचालय में 1200 शौचालय (150 शौचालय प्रति जनपद) तथा 2095 पेयजल में से 800 पेयजल (100 पेयजल प्रति जनपद) हेतु धनराशि अवमुक्त की गई है । शेष के लिये धनराशि उपलब्ध होने पर धनराशि अवमुक्त की जायेगी । वर्ष 1994-95 मे 355 एक-कक्ष तथा 84 दो-कक्ष निर्मित होने है जिनक लिय धनराशि उपलब्ध नहीं है । पर्वतीय जनपदो क लिये अभी काई धनराशि उपलब्ध नहीं है ।

3090 – सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद

व्यय एवं- प्रतिपूर्ति का विवरण

(रु0 लाख में)

क्र0सं0	मद	प्रतिपूर्ति %	1993–94 परियोजना प्रारम्भ से		1994–95 प्रथम त्रैमासिक (अप्रैल – जून)		1994–95 द्वितीय त्रैमासिक (जुलाई – सितम्बर)		1994–95 अक्टूबर, 94		1994–95 नवम्बर, 94		1994–95 दिसम्बर, 94		1994–95 का अद्यतन योग		1993–94 तथा 1994–95 का अद्यतन महायोग	
			व्यय	देय प्रति-पूर्ति	व्यय	देय प्रति पूर्ति	व्यय	देय प्रति पूर्ति	व्यय	देय प्रति-पूर्ति	व्यय	देय प्रति-पूर्ति	व्यय	देय प्राते-पूर्ति	व्यय	देय प्रति-पूर्ति	व्यय	देय प्राते पूर्ते
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	सिविल कार्य																	
	(क) विद्यालय निर्माण/विस्तार	90	—	—	382.07	343.87	863.02	776.72	175.76	158.18	258.11	232.30	350.84	315.76	2029.80	1826.83	2029.80	1826.83
	(ख) ब्लाक संसाधन केन्द्रों का निर्माण	90	531.11	477.99	294.13	264.72	142.70	128.44	7.26	6.53	—	—	—	—	444.09	399.69	975.20	877.68
	(ग) राज्य शैक्षिक प्रशिक्षण एवं प्रबन्धन संस्थान का निर्माण	90	43.55	39.20	28.93	26.04	58.12	52.31	19.75	17.78	23.19	20.87	16.66	14.99	146.65	131.99	190.20	171.19
2.	उपकरण/सामग्री/पुस्तकें	80 से 100	12.89	10.31	2.42	1.93	7.65	6.80	0.37	0.30	—	—	—	—	10.44	9.03	23.33	19.34
3.	वाहन	65	22.28	14.48	5.54	3.61	3.55	2.31	—	—	—	—	—	—	9.09	5.92	31.37	20.40
6.	स्थानीय प्रशिक्षण	100	0.18	0.18	—	—	2.31	2.31	11.45	11.45	8.52	8.52	26.72	26.72	49.00	49.00	49.18	49.18
8.	गैर–सरकारी संस्थाओं की सेवायें	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60
9.	वेतन–भत्ते, परिचालन रख–रखाव	90	3.78	3.39	2.36	2.13	7.65	6.89	2.66	2.39	3.08	2.77	15.56	14.09	31.41	28.27	35.19	31.66
	योग		613.79	545.55	715.45	642.30	1085.00	975.78	217.25	196.63	292.90	264.46	411.48	373.16	2722.08	2452.33	3335.87	2997.88
	अभ्युक्ति			प्राप्त		प्राप्त		प्राप्त		प्राप्त		प्राप्त						

सारांश

वर्ष	व्यय	देय प्रतिपूर्ति	प्राप्त प्रतिपूर्ति	क्लेम विचाराधीन
1993–94	631.79	545.55	545.55	——
1994–95 (नवम्बर, 1994 तक)	2310.60	2079.17	2079.17	——
दिसम्बर, 94 में	(+) 411.48	(+) 373.16	——	(–) 373.16
योग	3335.87	2997.88	2624.72	373.16

वर्ष 1994-95 का संशोधित आय-व्ययक

उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना का वर्ष 1994-95 के पुनरीक्षित आय-व्ययक पर कार्यक्रम समिति की बैठक दिनॉक 5/12/94 तथा वित्त समिति की बैठक दिनॉक 13/12/94 एवं 31/1/95 में विचार-विमर्श के उपरान्त की गयी संस्तुतियों के आधार पर अनुमानों का विवरण निम्नवत् है :-

(रू0 हजार में)

क्र सं / कोड	कार्यक्रम/गतिविधि	अनुमोदित आय-व्ययक	पुनरीक्षित आय-व्ययक	व्याधिक्य/ बचत		अभ्युक्ति
1	2	3	4	5		6
ए01	स्कूल मैपिंग व माइक्रोप्लानिंग	27,10	**10,00**	(-)	17,10	वर्ष 94-95 मे कार्यक्रम के संचालन के लिये प्रपत्रो की छपाई व सर्वेक्षण हेतु रू0 27.10 लाख का प्रस्ताव परियोजना जनपदों के 173 विकास खण्डों के लिये किया गया था। प्रत्येक जनपद में प्रथम वर्ष में केवल 3 ब्लॉकों का पूर्ण रूप से सर्वेक्षण कराने हेतु केवल रू0 10 लाख व्यय करने का प्रस्ताव है, जिसके लिये आवश्यक तैयारी कर ली गई है। शेष कार्य वित्तीय वर्ष 1995-96 में कराया जाएगा।
ए 02	जिला शिक्षा एव प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढीकरण	1,43,50	**1,29,00**	(-)	14,50	जिला शिक्षा एव प्रशिक्षण संस्थान पोडी गढवाल का नवीन भवन-निर्माणाधीन होने के कारण विस्तार कार्य स्थगित।
ए 03	ब्लॉक संसाधन केन्द्र	1,48,70	**1,48,70**	----		----
ए 04	परियोजना प्रबन्धन (राज्य स्तरीय)	40,00	**1,15,00**	(+)	75,00	राज्य परियोजना कार्यालय में कम्प्यूटर व्यवस्था हेतु कार्य-कारिणी समिति की बैठक दिनाक 9/6/94 मे अनुमति प्राप्त हो

1	2	3	4	5	6
					चुकी है तथा रू0 75 लाख का आगणन अनुमोदित किया जा चुका है। इस मद मे कुल रू0 1 .15 लाख व्यय होगा।
ए 05	परियोजना प्रबन्धन (जनपद स्तरीय)	1,30,00	**1,30,00**	----	----
ए 06	एस0आई0ई0 एम0 टी0	42,80	**11,00**	(-) 31,80	एस0आई0ई0 एम0 टी0 संस्थान का पंजीकरण दिनॉक 17/11/94 को हुआ है। अधिकारियो व कर्मचारियों के 2/3 माह के वेतनादि के लिए रू01,50,000 फर्नीचर-रू0 2 लाख, इक्यूपमेट-रू0 3 लाख वाहन-रू0 3,50,000 आवर्तक-1,00,000 कुल-11,00,000 रू0 होगा।
	उप-योग	5,32,10	5,43,70	(+) 11,60	
बी 01	परियोजना के लिये साफ्टवेयर का निर्माण	10,00	**7,00**	(-) 3,00	जनपदो मे कार्यक्रम संचालन हेतु प्रस्तावित रूपरेखा के अनुसार मार्च 31,1995 तक होने वाले व्यय का अनुमान लगाने पर रू0 3 लाख की बचत होगी।
बी 02	प्राथमिक विद्यालयों के भवनों का निर्माण/पुनर्निमार्ण	6,57,50	**6,57,50**	----	----
बी 03	उच्च प्राथमिक विद्यालय भवनों का निर्माण/पुननिमार्ण	2,40,60	**2,40,60**	----	----
बी 04	विद्यालयों मे विस्तार कार्य	11,14,10	**11,14,10**	----	----
बी 05	विद्यालय भवनों की मरम्मत एव रख-रखाव	2,87,20	----	(-) 2,87,20	ग्राम स्तर पर माइक्रोप्लानिंग के लिए सर्वेक्षण का कार्य 30 विकास खण्डों में मार्च 1995 व वर्ष 1995-96 मे शेष कार्य

1	2	3	4	5	6
					पूर्ण होगा जिसके अनुसार विद्यालय भवनों की मरम्मत आदि की आवश्यकताओं का आंगणन कर एस्टीमेट बनवाए जा सकेगें और तब वर्ष 1995-96 मे इस मद मे धन आबंटन करना संभव होगा।
बी 06	प्राथमिक विद्यालयों मे प्रधानाध्यापकों के पद	68,90	**27,56**	(-) 41,34	प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापकों के 2262 पदों को प्रधानाध्यापकों के पदों पर उच्चीकरण के फलस्वरूप पदोन्नति की कार्यवाही जनपद स्तर पर की गयी है। पदस्थापना में विलम्ब होने से बचत हुई है।
बी 07	प्राथमिक विद्यालयों मे सहायक अध्यापकों के अतिरिक्त पद	17,60	----	(-) 17,70	छात्र संख्या में वृद्धि के फलस्वरूप विद्यालयों मे अध्यापकों के अतिरिक्त पदों के सृजन किए जाएगें। छात्र-वृद्धि अभियान जनपदों मे चलाए जा रहे हैं। 20 दिसम्बर, 1994 से 31 मार्च 1995 की छात्र संख्या का सत्यापन कर वर्ष 95-96 मे आवश्यकतानुसार नये पद सृजित किए जाएगे। अत इस वर्ष इस मद में कोई व्यय नही होगा।
बी 08	ई0सी0सी0 ई0 केन्द्रों का खोलना	7,60	**7,60**	----	----
बी 09	छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण	9,90	**9,90**	----	----
बी 12	बालिकाओं के लिए कार्यानुभव (पाइलेट प्रोग्राम)	6,90	**6,90**	----	----

1	2	3	4	5	6
बी 13	महिला समाख्या	70,50	**32,14**	(-) 38,36	महिला समाख्या सोसाइटी के साथ माह नवम्बर, 1994 मे मेमोरेण्डम ऑफ अण्डर-स्टेन्डिग पर हस्ताक्षर हुए। इस वर्ष केवल 4 माह के लिये कार्य-योजना हेतु धन-राशि की मॉग महिला समाख्या द्वारा की गई है। इस मद मे शेष धनराशि की बचत है।
बी 14	अनुसूचित जाति/जनजाति तथा पिछडे वर्ग की बालिकाओं के लिए छात्रवृत्ति (पाइलेट प्रोग्राम)	03,40	**3,40**	----	----
बी 15	प्रशिक्षण कार्यक्रम	50,00	**2,00,00**	(+) 1,50,00	विश्व बैंक के द्वितीय सुपरवीजन मिशन की सलाह के अनुसार अध्यापकों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रमों मे एन0सी0ई0आर0टी0 का सहयोग लिया जा रहा है। प्रशिक्षण की नवीन विधा के साथ ही प्रत्येक अध्यापक को अपने विद्यालय में प्रयोग हेतु आवश्यक सामग्री का किट भी उपलब्ध कराया जा रहा है। यह कार्यक्रम सभी परियोजना जनपदों मे प्रत्येक ब्लॉक सदभ केन्द्र पर मार्च, 1995 तक आयोजित किए जाएगे। इसमे कुल 722 प्रशिक्षण शिविर लगेंगे जिनमे प्रति शिविर लगभग 20 हजार की दर से रू0 2 करोड व्यय होगा। अत: इस मद मे डेढ करोड रू0 अतिरिक्त मॉग है।
बी 16	अध्यापक जर्नल का निर्माण व प्रकाशन	1,60	**1,60**	----	----

1	2	3	4	5	6
बी 17	पाठ्यक्रम की समीक्षा व सुधार	0,50	**0,50**	----	----
बी 19	परीक्षण एव मापन	10,00	**70**	0-0 9,30	न्यूनतम शिक्षण अधिगम स्तर के लिये परीक्षण व मापन कार्य-शालाओ का आयोजन कराया जाना है। इस वर्ष केवल एक कार्यशाला कराई जा सकेगी जिसमे लगभग रू0 50 हजार व्यय होगे। अत: शेष राशि की बचत होगी।
बी 20	अध्यापक संदर्शिका व अनुपूरक पठन-सामग्री	37,30	**70**	0-0 36,60	नवीन पाठयपुस्तको के निर्माण हेतु कार्यक्रमों के अन्तर्गत कार्यशालाओं को आयोजित किया जाना है। इस वर्ष केवल पाठ्य क्रम निर्माण के संबध मे कार्य प्रारम्भ हो सकेगा। अत: पुस्तक लेखन आदि का समस्त कार्य वर्ष 95-96 मे होगा। इस वित्तीय वर्ष मे एक कार्यशाला के लिये लगभग 0,70 लाख रू0 व्यय हो सकेगा। अत: शेष राशि की बचत होगी।
बी 21	शिक्षण अधिगम सामग्री	4,25,00	----	0-0 4,25,00	विद्यालयों मे आवश्यकतानुसार शिक्षण अधिगम सामग्री प्रतिपूर्ति/ आपूर्ति की जानी है। विद्यालयों की आवश्यकताओ का वास्तविक अनुमान माइक्रोप्लानिंग कार्यक्रम के लिए किए जा रहे सर्वेक्षण के आधार पर किया जा रहा है। अत: इस मद में धनराशि इस वित्तीय वर्ष में व्यय नहीं होगी।
बी 22	विद्यालय सकुल	32,40,00	**14,19,30**	0-0 18,20,70	इस वर्ष केवल 615 सकुल का भवन निर्माण कार्य ही हो सकेगा। अत: सकुलों पर दी जाने वाली पुस्तकों व रखरखाव आदि पर कोई व्यय नही होगा और यह धनराशि शेष रहेगी।

1	2	3	4	5	6
बी 23	ग्राम शिक्षा समितियों को प्रोत्साहन	43,20	----	()-() 43,20	ग्राम शिक्षा समितियों को उनकी उत्कृष्ट भूमिका के लिए पुरस्कृत करनें हेतु उनके वर्ष भर के क्रिया-कलापो यथा नामांकन मे वृद्धि, बालिकाओ व निर्बल वर्ग के बच्चों की शिक्षा, विद्यालयी क्रिया-कलापों मे उनके योगदान आदि की समीक्षा शैक्षिक सत्र 94-95 के माह जून, 1995 मे पूर्ण होने पर की जाएगी व वर्ष 95-96 मे इसके लिए धन-राशि का प्रावधान किया जाएगा। अतः वर्ष 1994-95 मे इस मद मे कोई धनराशि व्यय नहीं होगी।
बी 24	बेस लाईन अध्ययन	34,70	**31,50**	()-() 3,20	न्यूनतम दरो के आधार पर कार्य रू0 31.50 लाख मे पूरा हो जाना।
	छात्रों हेतु शैक्षिक भ्रमण	----	**21,50**	----	विश्व बैक द्वारा कार्यक्रम अनु-मोदित न किए जाने का कारण।
	उप-योग	6,35,800	**3,76,100**	()-()25,97,00	
सी 01	प्राथमिक विद्यालयों का खोलना	21,19,40	**15,02,80**	()-() 6,16,60	प्राथमिक विद्यालय खोलने हेतु रू0 1315.50 लाख भवन निर्माण रू0 140.40 लाख उपकरण तथा रू0 663.50 लाख अध्यापको के वेतनादि के लिए प्रावधानित है। विद्यालयो मे अध्यापकों का पदस्थापन पूर्ण न हो सकने के कारण वेतन मद में बचत होगी।

D-8534
10.4.95

1	2	3	4	5	6
सी 02	उच्च प्राथमिक विद्यालयों का खोलना	18,45,30	**13,34,82**	(-) 5,10,48	उच्च प्राथमिक विद्यालयो मे भवन उच्चीकरण एव अध्यापको के वेतनादि के लिए प्रावधानित रू0 1845 30 लाख मे से अध्यापकों के वेतन के रू0 522 10 लाख प्रावधानित है। अध्यापकों का पदस्थापन पूर्ण न हो सकने के कारण वेतन मद में बचत होगी।
सी 03	नगर क्षेत्रों मे स्कूलों की पुनर्स्थापना	1,27,60	**1,27,60**	----	----
सी 04	प्राथमिक स्तर के अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों का खोलना	2,19,90	----	(-) 2,19,90	माइक्रोप्लानिंग के लिए किए जा सर्वेक्षण के द्वारा अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र खोलने के लिए असेवित बस्तियो की पहचान का कार्य किया जाएगा। अत यह अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र वर्ष 95-96 मे ही सचालित किए जाने सभव होंगे।
	उप-योग	43,12,20	**29,65,22**	(-)13,46,98	
	कुल योग	**11 20 230**	**72,69,92**	**39,32,38**	

प्रस्ताव -

वर्ष 1994-95 का उक्त पुनरीक्षित आय-व्ययक अनुमानों को अनुमोदित किया जाए।

वर्ष 1995–96 का प्रस्तावित आय – व्ययक

परियोजना के जनपदों से प्राप्त वार्षिक कार्य–योजना एवं बजट (ए0डब्लू0पी0बी0), सहयोगी संस्थाओं तथा राज्य परियोजना कार्यालय के आय–व्ययक अनुमानों के आधार पर वर्ष 1995–96 के प्रस्तावित अनुमानों पर कार्यक्रम समिति तथा वित्त समिति द्वारा क्रमशः 24/1/95 तथा 31/1/95 की बैठकों में विचार किया गया। इन बैठकों की संस्तुतियों के अनुसार वर्ष 1995–96 के आय – व्ययक अनुमान निम्नवत् है। इसी के साथ वर्ष 1993–94 के वास्तविक व्यय, 1994–95 आय–व्ययक अनुमानों तथा पुनरीक्षित अनुमानों का भी उल्लेख है :–

(रू0 हजार में)

वास्तविक व्यय 1993–94	आय–व्ययक अनुमान 1994–95	पुनरीक्षित अनुमान 1994–95		शीर्षक	आय–व्ययक अनुमान 1995–96
1	2	3		4	5
			ए – संस्थागत क्षमता में वृद्धि		
––	2710	1000	ए01	स्कूल मैपिंग एवं माइक्रोप्लानिंग	**1830**
––	14350	12900	ए02	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढ़ीकरण	**20500**
53111	14870	14870	ए03	ब्लाक संसाधन केन्द्र	**8200**
509	4000	11500	ए04	परियोजना प्रबन्धन (राज्य स्तरीय)	**8030**
3386	13000	13000	ए05	परियोजना प्रबन्धन (जनपद स्तरीय)	**15375**
4355	4280	1100	ए06	एस0 आई0 ई0 एम0 टी0	**5000**
61361	**53210**	**54370**		**योग**	**58935**
			बी – गुणवत्ता में सुधार एवं पूर्णता		
––	1000	700	बी01	परियोजना के लिये सॉफ्टवेयर का निर्माण	**1000**
––	65750	65750	बी02	प्राथमिक विद्यालयों के भवनों का निर्माण/पुनर्निर्माण	**51950**
––	24060	24060	बी03	उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवनों का निर्माण/पुनर्निर्माण	**17570**
––	111410	111410	बी04	विद्यालयों के विस्तार कार्य एवं अतिरिक्त सुविधायें	**110920**

1	2	3	4		5
--	28720	---	बी05	विद्यालय भवनों की मरम्मत एवं रख–रखाव	**10160**
--	6890	2756	बी06	प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान अध्यापकों के पद	**100433**
--	1760	---	बी07	प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के अतिरिक्त पद	**5760**
--	760	760	बी08	ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों का खोलना	**1910**
--	990	990	बी09	छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण	**8392**
--	2150	---		बच्चों का शैक्षिक भ्रमण	---
--	--	---	बी010	विद्यालयी शिक्षा के वैकल्पिक मॉडल	**150**
--	--	---	बी011	व्यक्तियों एवं संस्थाओं को नवीन कार्यक्रमों के संचालन हेतु सहायता	**3000**
--	690	690	बी012	बालिकाओं के लिए कार्यानुभव	**480**
--	7050	3214	बी013	महिला समाख्या	**14169**
--	340	340	बी014	अनुसूचित जाति/जनजाति एवं समाज के कमजोर वर्ग की बालिकाओं को छात्रवृत्ति	**375**
18	5000	20000	बी015	प्रशिक्षण कार्यक्रम	**60719**
--	160	160	बी016	अध्यापक जर्नल का निर्माण	**489**
--	50	50	बी017	पाठ्यक्रम की समीक्षा एवं सुधार	**1275**
--	--	---	बी018	विद्यार्थियों के मूल्यांकन की नई तकनीकें	**720**
--	1000	70	बी019	परीक्षण एवं मापन (एम0 एल0 एल0)	**205**
--	3730	70	बी020	अध्यापक संदर्शिका एवं अनुपूरक पठन सामग्री	**1299**

1	2	3	4	5
--	42500	---	बी021 शिक्षण अधिगम सामग्री की व्यवस्था	7060
--	324000	141930	बी022 विद्यालय संकुल	263670
--	4320	---	बी023 ग्राम शिक्षा समितियों को प्रोत्साहन	4325
--	3470	3150	बी024 बेस लाइन अध्ययन	---
--	---	---	बी025 विद्यालयों में सामुदायिक पुस्तकालय	1730
--	---	---	बी026 अनुसन्धान एवं मूल्यांकन	2800
--	2150	---	शैक्षिक भ्रमण	--
18	**635800**	**376100**	**योग**	670561

सी – पहुँच में सुधार

--	211940	150280	सी01 प्राथमिक विद्यालयों का खोलना	246327
--	184530	133482	सी02 उच्च प्राथमिक विद्यालयों का खोलना	255337
--	12760	12760	सी03 नगर क्षेत्रों में स्कूलों की पुनर्स्थापना	--
--	21990	--	सी04 अनौपचारिक शिक्षा (प्राथमिक स्तर)	20295
--	---	---	सी05 अनौपचारिक शिक्षा (उच्च प्राथमिक स्तर)	556
--	**431220**	**296522**	**योग**	**522515**
6,13,79	**112,02,30**	**726992**	**महायोग (ए + बी + सी)** =	**125,20,11**

(रू0 125 करोड़, 20 लाख, 11 हजार)

प्रस्ताव :-

वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक अनुमान कार्यकारिणी समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं ।

स्वैच्छिक संस्थाओं को बेसिक शिक्षा क्षेत्र में कार्यक्रमों/गतिविधियों के संचालनार्थ सहायता अनुदान कार्यक्रम।

परियोजना के अन्तर्गत स्वैच्छिक संस्थाओ को बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों/गतिविधियो के संचालन हेतु वित्तीय सहायता देने का प्रावधान है। स्वैच्छिक संस्थाओं से प्रस्तावो को प्राप्त करना, उनका परीक्षण एवं प्रस्ताव के प्रारूप आदि से सबधित दिशा-निर्देश (अंग्रेजी में) राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा तैयार किया गया है।

2 प्रस्तावित दिशा-निर्देश का अनुच्छेद-। भूमिका, परियोजना का एप्रेजल रिपोर्ट तथा परियोजना प्रतिवेदन, अनुच्छेद -2 उददेश्य एस0ए0आर0 एव मानव संस्थान विकास मंत्रालय द्वारा संशोधित (जनवरी, 87) स्वैच्छिक अभिकरणो को दी जाने वाली सहायता कार्यक्रम, अनुच्छेद-3 अर्हता तथा अनुच्छेद-4 प्रकृति और सहायता की सीमा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संशोधित (जनवरी, 87) स्वैच्छिक अभिकरणो को दी जाने वाली सहायता कार्यक्रम एव साक्षरता की क्षेत्र आधारित परियोजना बनाने संबंधी दिशा-निर्देश, अनुच्छेद-5 प्रक्रिया, अनुच्छेद-6 आवेदन पत्र का प्रारूप, बेसिक शिक्षा में शोध एव मूल्याकन संदर्शिका (राज्य परियोजना कार्यालय) तथा राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान के दिशा-निर्देश, अनुच्छेद-7 स्वीकृति, अनुच्छेद-8 अनुदान का स्वीकृत किया जाना, अनुच्छेद-9 लेखो का रख-रखाव, अनुच्छेद-।0 सहायता की समाप्ति तथा अनुच्छेद-।। अन्य शर्तें-मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संशोधित (जनवरी, 87) स्वैच्छिक अभिकरणों को दी जाने वाली सहायता कार्यक्रम तथा बेसिक शिक्षा के क्षेत्र मे शोध एव मूल्याकन संदर्शिका (राज्य परियोजना कार्यालय) पर मुख्यत: आधारित है। एस0ए0आर0 का अनुबद्ध (एनक्स) -।5 मार्गदर्शी तथा नवाचार कार्यक्रमो को भी इसकी संरचना में ध्यान मे रखा गया है तथा यह प्रयास किया गया है कि इस कार्यक्रम मे स्वीकृति विकेन्द्रीकृत हो तथा जनपद स्तर पर ही निर्णय लिया जाए।

3 इस प्रस्ताव पर कार्यक्रम समिति की बैठक दिनॉक 24/।/95 मे विस्तार से विचार-विमर्श हुआ तथा इस बैठक में यह अपेक्षा की गई कि आवेदन पत्र का प्रारूप भी निर्धारित कर दिया जाए। कार्यक्रम समिति की संस्तुतियों का समावेश करते हुए सहायता अनुदान कार्यक्रम तथा आवेदन पत्र का प्रारूप संलग्न है।

प्रस्ताव:-

संलग्न दिशा-निर्देश को अनुमोदित किया जाए तथा परियोजना जनपद मे कार्यरत् स्वैच्छिक संस्थाओं से आवेदन-पत्र प्राप्त करनें हेतु आवश्यक कार्यवाही की अनुमति प्रदान की जाए।

U.P. BASIC EDUCATION PROJECT

SCHEME OF ASSISTANCE TO VOLUNTARY AGENCIES FOR PROGRAMMES IN THE AREA OF BASIC EDUCATION

1. INTRODUCTION

1.1 The World Bank assisted UP Basic Education Project is being implemented in ten selected districts of the state, namely Varanasi, Gorakhpur, Allahabad, Banda, Etawah, Sitapur, Aligarh, Saharanpur, Pauri and Nainital.

1.2 The Project aims to support the Uttar Pradesh Basic Education Programme strategy by assisting with the development of institutional capacity for planning, management, evaluation and professional support needed to manage the long-term, State-wide Basic Education Programmes, and by financing Basic Education Improvement Programmes in ten districts of the State. The overwhelming focus of the Project is on publicly provided Basic Education.

1.3 Universal enrolment and completion in elementary education is the primary goal for Basic Education development for the State of Uttar Pradesh. The Project will accelerate the pace at which the State would accomplish its objectives: building institutional capacity, improving quality and completion, and expanding access. For building institutional capacity, the Project would (a) strengthen relevant institutions and structures, and (b) improve the flow of information for decision-making. Towards improving quality and completion, the Project would support (a) strengthening of community participation, (b) improving readiness to learn, (c) improving curriculum and text books, (d) improving school management, (e) strengthening and expanding special programmes for females, (f) rehabilitating school facilities, and (g) exploring various programme innovations on an initially limited basis. In order to improve equitable access to Basic Education, the Project would extend assistance to expand Primary and Upper Primary schooling, as well as Non-Formal Education for children unable to attend formal schools.

1.4 The Project Strategy recognizes the need to test new strategies for cost effectiveness before adopting them for widespread replication, as well as the need for flexibility in mounting small-scale innovative programmes to address special needs and to explore ways to involve Non-Governmental Organisations (NGOs) in Project activities.

2. OBJECTIVES

2.1 The broad aim of the scheme is to effectively involve voluntary agencies, public trusts, welfare organisations, social activist groups, etc. in the implementation of the U.P. Basic Education Programme. A key objective would be to involve NGOs in initiating small-scale innovative programmes which may subsequently be replicated on a larger scale, to enable NGOs to supplement and participate in implementation and monitoring of Project activities. Keeping in view this objective, in context of the goal of "Education For All", the Project would assist NGOs to implement innovative programmes and intervention strategies on a pilot/experimental basis.

2.2 The specific objectives of the scheme are as follows :-

(a) to develop programmes for children with special needs;

(b) to provide basic literacy to children in difficult-to-reach areas;

(c) to demonstrate innovative programmes for enhancing enrolment, retention and completion by girls in basic schools;

(d) to demonstrate sustainable and cost-effective programmes in alternative models of schooling;

(e) to supplement Project activities, particularly in the direction of enhancing learning achievement, through innovative interventions;

(f) to envolve curricula, learning materials, instructional methods, evaluation techniques, etc. relevant to the needs, environment and working life of specific groups of learners;

(g) to develop appropriate interventions to supplement the Project's non-formal education programme for out-of-school children;

(h) to provide innovative inputs for training programmes (of new teachers, in-service teachers, Head teachers, NFE instructors, Village Education Committee members, educational administrators, etc.) under the Project;

(i) to demonstrate programmes to enhance community participation, and, especially, participation of women, in educational planning and development;

(j) to extend functional literacy to girls through work experience programmes;

(k) to provide appropriate interventions to enhance effectiveness of implementation and monitoring of Project activities.

3. ELIGIBILITY

3.1 Registered voluntary societies, public trusts, welfare organisations and social activist groups would be eligible for assistance under this scheme. Agencies which are not legal entities would not be eligible.

3.2 In order to be eligible for financial assistance under this scheme an agency should

(i) have a proper constitution or articles of association;

(ii) have a properly constituted managing body with its powers and duties clearly defined in the constitution;

(iii) not be run for the profit of any individual or a body of individuals;

(iv) not discriminate against any person or group of persons on the ground of sex, religion, caste or creed;

(v) not in any manner incite communal disharmony;

(vi) not proselytise, and

(vii) eschew violence.

3.3 Moreover, the organisation should possess

(i) a record of successful implementation of voluntary social service delivery, with basic education experience preferred;

(ii) experience and capacity for training of staff to work on the programme, as demonstrated by reports of activities taken up in the past, and

(iii) standing in the community as judged and attested to by the District Education Project Committee (DEPC).

3.4 To be eligible to seek assistance undr this scheme, the applicant organisation must be secular and non-political and be set up either under a Statute of the Central or State Legislature or be registered under the Societies Registration Act, 1860. In the case of voluntary organisations registered under the Societies Registration Act, 1860 they should have been functioning for a period of not less than three years on the date of applying for assistance.

4. NATURE AND EXTENT OF ASSISTANCE

4.1 Eligible agencies will be given financial assistance for activities taken up in the context of the objectives of the Project outlined in para 2; provided that the budget of the applicant agency meets the norms of the U.P. Education For All Project.

4.2 Broadly, the Project will finance costs directly related to the programme, such as training, equipment, educational materials, professional and consultancy services.

4.3 Assistance may be sought for such duration as the applicant agency may consider appropriate. Ordinarily, assistance will be provided for small-scale, short term, pilot/experimental programmes, the results of which, for the purpose of replication/extension, would be assessed and become apparent within a maximum of two year.

5. PROCEDURE

5.1 Any agency eligible to receive assistance under this scheme may make an application in the form appended hereto. The application should be addressed to the District Project Office (DPO), U.P. Basic Education Project, in the District wherein the programme is proposed to be implemented. In case the applicant agency proposes to implement their programme in more than one Project District, the application should be submitted to the State Project Office (SPO), U.P. Basic Education Project, which will, after scrutiny, send the proposals to the concerned DEPCs for consideration.

5.2 The DPO will process the application and place it before the DEPC for acceptance and inclusion in the annual work plan and budget. Proposals cleared by the DEPC would be reviewed and approved by the SPO, whereafter a sanction letter would be issued to the applicant agency. The DPO/SPO may call for clarifications at any stage and suggest modifications in the proposals submitted.

5.3 Ordinarily, not more than one programme shall be sanctioned to an agency at a time.

5.4 Assistance will be organisation-based and released to the Head of the organisation.

6. FORM OF APPLICATION

6.1 The applicant agency will submit an application in the prescribed form, alongwith an outline of the proposed programme (in not more than 10 typed pages) in accordance with the following guidelines :-

(i) Objective : The focus and orientation, as well as the specific objectives, of the proposed programme spelt out in detail.

(ii) Justification and relevance to overall Project strategy : A precise identification of the problem and a statement as to how the programme will be relevant to Project objectives and towards achieving the goal of Education For All.

(iii) Programme strategy : A clear description of a feasible strategy for achieving programme objectives, as well as a clear identification of the beneficiary group.

(iv) Approach, methodology and coverage : A precise description of the modus operandi of implementation of the programme including the method for monitoring and accounting of activities and expenditures.

(v) Programme duration : The time-frame of the programme, spanning planning, implementation, monitoring and evaluation, and preparation of report/findings.

(vi) An overview of experience : gained by the applicant agency in the area of the proposal, supported by resumes of work undertaken in the past, and a brief justification of the suitability of the applicant for undertaking the programme under consideration.

(vii) Budget : Detailed financial requirements for the duration of the programme, broken down under different items of training, equipment, educational materials, professional and consultancy services, contingencies, etc. (purchase of equipment valued at more than Rs. 30,000/- will not be acceptable).

7. SANCTION

7.1 After scrutiny of the application, detailed in para 5.2, the DPO will issue a Sanction Letter in respect of each proposed programme approved for implementation by the appropriate authority.

7.2 The letter will be accompanied by an outline of the approved programme. No change will be made in the said outline or in the conditions laid down in the Sanction Letter without the prior approval of the DEPC/SPO.

7.3 Prior to the release of the first instalment of financial assistance, the organisation shall enter into a Memorandum of Agreement (MOA) with the DPO.

8. RELEASE OF GRANT

8.1 Grants will be released to the programme agency on the basis of an initial quarterly advance. Further quarterly instalments would be released on submission of Statement of Expenditure and Progress Report.

8.2 The programme agency shall establish a seperate bank account for Project funds.

9. MAINTENANCE OF ACCOUNTS

9.1 Accounts related to the sanctioned programme shall be maintained properly and separately, and submitted to the DPO/SPO as and when required. The accounts and records of the programme shall be open to examination/inspection by officers deputed by the DPO/SPO.

9.2 The audited accounts together with the utilisation certificate in the prescribed form, duly signed by the organisation's Chartered Accountants, are required to be furnished within six months in respect of the preceding financial year or after expiry of the duration for which grant is approved.

10. TERMINATION OF GRANTS

10.1 If the DEPC and/or SPO is not satisfied with the progress of the programme, or if it finds that these rules are being violated or that the grants are not being utilised for the approved purpose, the payment of grants may be terminated and the earlier grants recovered.

10.2 For any serious violation of the terms and conditions of this Scheme or of the Sanction letter or the Memorandum of Agreement, the grantee shall be liable to refund the entire grant amount together with interest, at the rate of (@) 18% per annum thereon, from the date of encashment of the cheque/bank draft of the amounts sanctioned for the programme.

10.3 The decision of the Chairman, D.E.P.C., on the question of whether there has been any breach or violation of any of the terms and conditions mentioned herein, as well as in the Sanction Letter and the Memorandum of Agreement, shall be final and binding on the grantee.

11. OTHER CONDITIONS

11.1 The grant-receiving agency shall maintain a record of all assets acquired out of Project funds and maintain a register of such assets. Such assets will not be disposed of, encumbered or utilised for purposes other than those for which the grant was given, without the prior sanction of the DPO. Should the organisation cease to exist at any time, such properties shall revert to the Project.

11.2 The organisation must excercise reasonable economy in the implementation of the approved programme.

11.3 The organisation shall furnish to the DPO/SPO reports as may be prescribed.

****

U.P. BASIC EDUCATION PROJECT
ASSISTANCE TO VOLUNTARY AGENCIES FOR PROGRAMMES
IN THE AREA OF BASIC EDUCATION

Application Form

(To be submitted in duplicate. In case the space shown against any column is found to be insufficient, separate sheet (s) may be attached and signed)

1. Particulars about the Agency

(1) (a) Name of the Agency

b) Mailing Address

(c) Names and Address of members of managing body

(d) Name and Address of authorised representative

(2) (a) Title of Proposed Programme

(b) Area in which to be implemented

(3) (a) Status of the Agency
(Voluntary Agency/Public trust/Welfare organisation/Social activist group/Other (specify)

(b) Name of the parent body, if any, to which attached

(4) Nature of functions of the Agency

(5) Manner in which the organisation was establishd
(Act of Parliament/Act of State Legislature/Registered under Societies Registration Act 1860)

(a) In case established under an Act of Parliament/State Legislature the name of the Statute, No. of the Act and year.

(b) In case established under the Societies Registration Act 1860, the Place, Registration No. and Date of Registration. (Copy of Memorandum and Articles of Association be attached)

(6) Previous experience of the agency, of voluntary work in the field of basic education.

2. **Format for Programme Outline**
(To be typed on separate sheet (s) and attached)

(1) Objective

(2) Justification and relevance to overall Project (EFA) strategy

(3) Programme strategy

4) Approach, methodology and coverage

(5) Programme duration

(6) Overview of previous experience

3. **Details of Programmes previously undertaken by the agency. (Reports may be attached)**

4. **Budget**

(1)	(a)	Training	-	Rs.
	(b)	Equipment	-	Rs.
	(c)	Educational Materials	-	Rs.
	(d)	Professional & Consultancy Service	-	Rs.
	(e)	Contingencies	-	Rs.
		TOTAL PROGRAMME COST	-	**Rs.**
(2)	(a)	Non-recurring costs	-	Rs.
	(b)	Recurring costs	-	Rs.

(3) Phasing of financial requirements:

(a) Initial requirement/advance - Rs.

Non-recurring - Rs.

Recurring - Rs.

(b) Requirement for 2nd quarter - Rs.

Non-recurring - Rs.

Recurring - Rs.

(c) Requirement for 3rd quarter - Rs.

Non-recurring - Rs.

Recurring - Rs.

(d) Requirement for 4th quarter - Rs.

Recurring - Rs.

Non-recurring - Rs.

(e) Requirement for 5th quarter - Rs.

Recurring - Rs.

Non-recurring - Rs.

(f) Requirement for 6th quarter - Rs.

Recurring - Rs.

Non-recurring - Rs.

TOTAL Rs.

CERTIFICATE

1. Certified that the information given in our application is true and that we shall abide by all the conditions laid down in the scheme of grants and that we shall enter into a Memorandum of Agreement with the District Project Office in the event that our proposal is sanctioned.

2. Certified that the applicant agency is secular and non-political

(Signature of the Authorised Representative)

(Signature of Head of Managing Body of the Agency)

Place:

Date:

(Official seal)

ग्राम शिक्षा समितियों को प्रोत्साहन अनुदान

प्रत्येक विकासखण्ड की एक ग्राम शिक्षा समिति को शैक्षिक सत्र मे मुख्यत: बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा विधाओं से संबंधित कार्यक्रमों/गतिविधियो के लिए रू0 25,000/- का अनुदान प्रोत्साहन के रूप में प्रदान किया जाएगा। यह धनराशि संबंधित ग्राम शिक्षा समिति द्वारा शिक्षा से संबंधित किसी भी गतिविधि/पहलु पर व्यय करने के लिये स्वतन्त्र होगी, किन्तु यह सुनिश्चित करना होगा कि इस विनियोग से संबंधित गॉव को पूर्ण लाभ मिले।

2 शैक्षिक सत्र (1 जुलाई से 30 जून तक) की अवधि में ग्राम शिक्षा समितियों द्वारा किए गए कार्यों का मूल्यॉकन कर, प्रोत्साहन अनुदान प्रदान किया जाएगा। इस अनुदान हेतु केवल ऐसी ग्राम शिक्षा समितियॉ अर्ह होंगी जिनकी आलोच्य सत्र में कम-से-कम 10 नियमित बैठकें हुई हों।

3 प्रत्येक विकास खण्ड में मात्र उन्ही ग्राम शिक्षा समितियों को अनुदान हेतु विचार किया जाएगा, जिनका अधिभार अंक 25 अथवा उससे अधिक होगा।

4 निम्नांकित मार्ग-दर्शी बिन्दुओं के अनुसार विद्यालय समितियो का मूल्यॉकन निर्धारित प्रक्रिया अनुसार ब्लॉक/जनपद स्तरीय समितियों द्वारा किया जाएगा। संस्थाओ के लिए सूचना प्रेषण का प्रारूप तथा मूल्यांकन के विस्तृत निर्देश राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा निर्गत किया जायेंगे।

(1) प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्कूलों में नामांकन -

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्कूलों में 6-11 तथा 11-14 वय वर्ग के बालक/बालिकाओं की गॉव मे कुल संख्या के प्रति स्कूल मे नामाकन का मूल्यांकन निम्नवत नामाकन प्रतिशत के आधार पर किया जाएगा -

नामांकन प्रतिशत	अधिभार अंक
100	5
90-99	4
80-89	3
70-79	1

(2) प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्कूलों की धारण क्षमता में वृद्धि -

धारण क्षमता के आकलन हेतु अक्टूबर माह के अन्तिम दिवस तथा आगामी वर्ष के अप्रैल माह के अन्तिम दिवस तक के नामांकन को देखा जाएगा। इसके साथ ही अक्टूबर से मार्च तक के प्रत्येक माह मे नामांकन की स्थिति की भी समीक्षा की जाएगी। अक्टूबर से अप्रैल तक प्रत्येक माह के नामांकन के आधार पर औसत नामांकन के लिए अधिभार अंक निम्नवत् देय होगें -

अक्टूबर से अप्रैल तक का मासिक औसत नामांकन	अधिभार अंक
100% रहने पर	5
90-99%	4
80-89%	3
70-79%	2
60-69%	1

(3) सम्प्राप्ति :-

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्कूलों मे कक्षावार उत्तीर्ण/संख्या परीक्षाफल का आंकलन किया जाएगा। स्कूल में सभी कक्षाओ में शत-प्रतिशत परीक्षाफल होने पर पाँच अक का अधिभार प्रदान किया जाएगा। सम्प्राप्ति हेतु अधिभार अंक निम्नवत् दिया जाएगा :-

विद्यालय का कक्षावार परीक्षाफल	प्रत्येक का परीक्षाफल	अधिभार अंक
कक्षा 3 4 5	100% रहने पर	5
कक्षा 6 7 8	90-99%	4
	80-89%	3
	70-79%	2
	60-69%	1

विद्यालय के औसत परीक्षाफल को अंक प्रदान करनें हेतु आंगणित किया जाएगा।

(4) प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्कूल भवनों का निर्माण एवं रख-रखाव :-

(क) प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्कूल भवनों का निर्माण/विस्तार कार्य जिसमे एक कक्ष तथा दो कक्ष का निर्माण, शौचालय निर्माण एवं पेयजल व्यवस्था हेतु इण्डिया मार्क-II तथा III हैण्ड-पम्प का लगवाया जाना आदि सम्मिलित है, के लिए संयुक्त खाते में प्रथम किश्त की धनराशि प्राप्त होने की तिथि से निम्नलिखित अवधि मे कार्य पूर्ण कराने पर उनके सम्मुख उल्लिखित अधिभार अंक देय होगा :-

प्राथमिक/उच्च प्राथमिक भवन निर्माण (दिनों में)	अधिभार अंक	एक कक्ष तथा दो कक्ष निर्माण (दिनों में)	अधिभार अंक	शौचालय तथा हैण्डपम्प लगवाना (दिनों में)	अधिभार अंक
1	2	3	4	5	6
90 दिन मे	5	60 दिन मे	5	15 दिन मे	5
91 से 120 दिन मे	4	61 से 70 दिन मे	4	16 से 30 दिन मे	4

1	2	3	4	5	6
121 से 150 दिन मे	3	71 से 80 दिन मे	3	31 से 40 दिन मे	3
151 से 180 दिन मे	1	80 से 90 दिन मे	1	41 से 50 दिन मे	1

(ख) विद्यालय में संकलित अभिदान की धनराशि तथा/अथवा अन्य योगदान से विद्यालय भवन के उचित रख-रखाव जिसमें भवन की पुताई/रंगाई, परिसर मे फूल-पौधों का लगाया जाना, नर्सरी जन-सहयोग से बाउन्ड्रीवाल का निर्माण अथवा झाडियों आदि का लगाया जाना तथा परिसर की सामान्य स्वच्छता आदि के लिए अधिकतम् 5 अक का अधिभार दिया जाएगा। अधिभार का निर्धारण विद्यालय भ्रमण करने वाले अधिकारियों/जन-प्रतिनिधियों तथा ग्राम शिक्षा समितियों की बैठकों कार्यवृत्ति के आधार पर होगा। प्रमुख गतिविधियों तथा देय अधिभार अक निम्नवत् होगा -

	गतिविधि	अधिभार अंक
(i)	रंगाई-पुताई	1
(ii)	परिसर मे फूल-पौधों तथा वृक्षारोपण एवं नर्सरी	1
(iii)	चहारदीवारी का निर्माण	1
(iv)	परिसर की सामान्य स्वच्छता एवं सौन्दर्यीकरण	1
(v)	स्कूल मे भौतिक संसाधन की वृद्धि के लिए	1

उपर्युक्त उल्लिखित गतिविधियों के औसत के आधार पर अधिकतम् 5 अधिभार अंक देय होगा।

(5) विद्यालय में शिक्षणेत्तर कार्यक्रम:-

ग्राम शिक्षा समिति के अधीन आने वाले प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्कूल के बालक/बालिका का खेलकूद, रेडक्रास, स्काऊटिंग/गाइडिंग तथा अन्य शिक्षणेत्तर कार्यक्रमों में प्रतिभाग करनें पर निम्नवत् अधिभार अक प्रदान किया जाएगा:-

	प्रतिभाग स्तर	अधिभार अंक		
		खेलकूद	रेडक्रास, स्काउटिंग/गाइडिंग	सांस्कृतिक/साहित्यिक कार्यक्रम
(1)	संकुल स्तर	1	1	1
(2)	विकासखण्ड स्तर	1	1	1
(3)	जनपद स्तर	1	1	1
(4)	मण्डल स्तर	1	1	1
(5)	राज्य स्तर	1	1	1

उपर्युक्त उल्लिखित गतिविधियों के औसत के आधार पर अधिकतम् 5 अधिभार अंक देय होगा।

(6) अनौपचारिक शिक्षा:-

(क) गॉव में अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम/केन्द्र के संचालन हेतु निम्नवत् अधिभार अंक देय होगा -

प्रतिभागियों की संख्या	अधिभार अंक		
	नामांकन	धारण क्षमता	सम्प्राप्ति
1	2	3	4
30	5	5	5
25-29	4	4	4
20-24	3	3	3
15-19	2	2	2
10-14	1	1	1

(ख) गॉव शिक्षा समितियों के माध्यम से सम्पन्न होने वाली गतिविधियों को निम्नवत् अधिभार अंक देय होगा -

	गतिविधि	हॉं (अधिभार अंक)	नहीं
(i)	अनुदेशकों का चयन	1	-
(ii)	किट का वितरण	2	-
(iii)	अनुदेशकों को मानदेय का भुगतान	2	-

उपर्युक्त उल्लिखित गतिविधियों के औसत के आधार पर अधिकतम् 5 अधिभार अंक देय होगा।

जिस गॉव मे अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम संचालित न हो, उस गॉव को इस गतिविधि के लिये अन्य कार्यक्रमों/गतिविधियो के लिये प्राप्त अधिभार अक का ओसत अंक अनोपचारिक शिक्षा के लिये भी प्रदान किया जाएगा।

(7) ग्राम शिक्षा योजना:-

समिति गॉव में शिक्षा के प्रचार-प्रसार एवं विकास हेतु वार्षिक ग्राम शिक्षा योजना की सरचना तथा योजना अनुसार कार्यक्रमों के संचालन/गतिविधियों के पूर्ण कराने पर पॉच अंक का अधिभार देय होगा। मात्र ग्राम शिक्षा विकास योजना की संरचना तथा उनके आंशिक क्रियान्वयन पर दो अंक का ही अधिभार देय होगा।

(8) शिक्षोन्नयन तथा सामाजिक सह-भागिता हेतु आयोजित कार्यक्रम:-

गॉव शिक्षा समितियों द्वारा शैक्षिक सत्र मे शिक्षोन्नयन एव अन्य ऐसे कार्यक्रम जिनका उददेश्य शिक्षा के प्रचार-प्रसार तथा विकास से संबंधित हो तथा इस हेतु जन-सहयोग प्राप्त करनें की दिशा मे कार्यक्रम आयोजित

करनें पर प्रत्येक कार्यक्रम के लिए एक अंक का अधिभार देय होगा। अधिकतम् पॉच अधिभार अंक देय होगा।

5 इस कार्यक्रम पर कार्यक्रम समिति ने अपनी बैठक दिनॉक 24/1/95 मे विचार किया। समिति द्वारा की गई संस्तुतियों का समावेश उपर्युक्त उल्लिखित प्रस्ताव मे किया गया है।

प्रस्ताव:-

ग्राम शिक्षा समितियों को प्रोत्साहन अनुदान विषयक उपर्युक्त उल्लिखित मार्ग-निर्देशों का अनुमोदन प्रदान किया जाए।

राज्य परियोजना कार्यालय तथा जिला परियोजना कार्यालयों के पदों का सृजन एवं वाहन तथा अन्य सामग्री की व्यवस्था

राज्य परियोजना कार्यालय तथा परियोजना के आच्छादित जनपदों में परियोजना प्रतिवेदन में उल्लिखित व्यवस्था तथा आवश्यकतानुसार कार्यक्रम समिति ने दिनांक 05.12.1994 की बैठक तथा वित्त समिति ने दिनांक 13.12.1994 की बैठक में निम्नांकित पदों के सृजन की संस्तुति की :–

राज्य परियोजना कार्यालय

क्रमांक	पदनाम	वेतनमान (रू0)	पदो की संख्या
1	2	3	4
1.	प्रशासनिक अधिकारी	2200–4000	1
2.	लेखाधिकारी	2200–4000	1
3.	सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी	2200–3200	1
4.	शिविर सहायक	1400–2600	1
5.	लेखाकार	1400–2600	2
6.	दफ्तरी	775–1025	1

जनपद स्तरीय परियोजना कार्यालय

क्रमांक	पदनाम	वेतनमान (रू0)	पदों की संख्या
1	2	3	4
1.	लेखाकार	1400–2600	10
2.	परिचारक	750–940	10

वाहन क्रय –

कार्यक्रम समिति तथा वित्त समिति ने अपनी बैठक क्रमशः दिनांक 05.12.1994 तथा 13.12.1994 में राज्य परियोजना कार्यालय हेतु एक स्टेशन वैगन के क्रय की संस्तुति की, जिसमें 8–10 व्यक्तियो के बैठने की व्यवस्था हो । इस वैगन का क्रय वर्ष 1994–95 में किया जाय । इसी के साथ वाहन चालक के एक पद के सृजन की भी निम्नवत् संस्तुति की है :–

क्रमांक	पदनाम	वेतनमान(रू0)	पदों की संख्या
1	2	3	4
1.	वाहन चालक	950–1500	1

प्रस्ताव :–

राज्य परियोजना कार्यालय तथा जिला परियोजना कार्यालयों के लिए उपर्युक्त उल्लिखित पदों के सृजन तथा एक स्टेशन-वैगन क्रय करने की अनुमति प्रदान की जाय ।

एजेन्डा बिन्दु-।।

वरिष्ठ विशेषज्ञ (निर्माण कार्य) का वेतनमान

उत्तर प्रदेश सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना कार्यालय में वरिष्ठ विशेषज्ञ (निर्माण कार्य) का एक पद सृजित है किन्तु इसमें वेतनमान का उल्लेख नहीं है। राज्य परियोजना कार्यालय मे वरिष्ठ विशेषज्ञ (निर्माण कार्य) के पद पर लिये गये अधिकारी का वेतनमान रू0 3000-4500 है तथा इसी वेतन क्रम में इन्हें परियोजना मे रखा गया है। राज्य परियोजना कार्यालय मे नियुक्त सभी वरिष्ठ विशेषज्ञों का वेतनमान रू0 3700-5000 है।

2-उपर्युक्त उल्लिखित प्रकरण पर वित्त समिति की बैठक दिनांक 13.12.94 मे इस पर विचार किया गया । वस्तुस्थिति यह पाई गयी कि वरिष्ठ विशेषज्ञ (निर्माण कार्य) अपने पैतृक विभाग मे वेतनक्रम रू0 3000-4500 मे है तथा इसी वेतनक्रम मे इन्हें परियोजना में लिया गया है। परियोजना मे वरिष्ठ विशेषज्ञों का वेतनक्रम रू0 3700-5000 है, अतएव वरिष्ठ विशेषज्ञ (निर्माण कार्य) को भी यही वेतनक्रम दिया जाय। वरिष्ठ विशेषज्ञ (निर्माण कार्य) को रू0 3700-5000 का वेतनक्रम दिये जाने पर प्रतिनियुक्ति भत्ता देय न होगा ।

प्रस्ताव-

राज्य परियोजना कार्यालय के वरिष्ठ विशेषज्ञ (निर्माण कार्य) को वेतनक्रम रू0 3700-5000 दिये जाने हेतु वित्त समिति की उपर्युक्त संस्तुति के अनुसार अनुमोदित किया जाय।

सभापति की अनुमति से अन्य बिन्दु
वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन

उ0प्र0–सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद की कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनाक 9/6/1994 मे उ0प्र0–सभी के लिये शिक्षा परियोजना के त्वरित क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर वित्तीय अधिकारो के प्रतिनिधायन की निम्नवत् अनुमति प्रदान की गई :–

क्रमाक	अधिकारी/पदाधिकारी	वित्तीय अधिकार	अन्य विवरण
1	2	3	4
1.	अपर राज्य परियोजना निदेशक	उ0प्र0 सरकार के विभागाध्यक्ष स्तर के सभी वित्तीय अधिकार	
2.	राज्य परियोजना निदेशक	–– तदैव ––	
3.	उपाध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति/प्रमुख सचिव /सचिव(शिक्षा)	प्रदेश शासन के वित्त विभाग के समान सभी वित्तीय अधिकार	
4.	अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति मुख्य सचिव	आकस्मिक परिस्थितियो मे कार्यकारिणी समिति के समस्त अधिकार जिसका कालान्तर मे अनुसमर्थन(रैटीफिकेशन) कार्यकारिणी समिति से प्राप्त किया जाय।	

2. राज्य परियोजना कार्यालय स्तर पर मुद्रण/उपकरण तथा अन्य सामग्री के क्रय के लिये यह अनुभव किया गया कि राज्य परियोजना निदेशक को विभागाध्यक्ष स्तर के प्रदत्त अधिकार पर्याप्त नही है अत: परियोजना कार्यालय की स्थापना तथा इसके विभिन्न गतिविधियो/कार्यक्रमो के प्रभावी नियन्त्रण/क्रियान्वयन के लिए वित्तीय अधिकारो के प्रतिनिधायन की सीमा को बढाया जाय । यह प्रकरण वित्त समिति की गत बैठक दिनाक 13/12/94 में प्रस्तुत किया गया था तथा उक्त बैठक में यह निर्णय लिया गया कि इस सबध मे प्रदेश के वाह्य सहायित अन्य परियोजनाओं का अध्ययन कर प्रस्ताव वित्त समिति की आगामी बैठक मे प्रस्तुत किया जाय । राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा "वाटर सप्लाई एण्ड इनवायरनामेण्डल सेनीटेशन प्रोजेक्ट" एस0आई0एफ0पी0एस0ए0 तथा भूमि सुधार की परियोजना का वित्ती अधिकार के प्रतिनिधायन को देखने के उपरान्त, राज्य परियोजना निदेशक उ0प्र0 -सभी के लिये शिक्षा परियोजना के लिये निम्नवत वित्तीय अधिकारो का प्रतिनिधायन की सस्तुति वित्त समिति ने दिनाक 31/01/95 की बैठक में की है

क्रमाक	अधिकारी/पदाधिकारी	वित्तीय अधिकार
1	2	3
1.	राज्य परियोजना निदेशक	प्रत्येक मामले मे एक बार मे सामग्री/उपकरण आदि के क्रय हेतु रूपया 25,000/- तथा मुद्रण कार्य हेतु रूपयो 50,000/- तक ।

प्रस्ताव :–

राज्य परियोजना निदेशक उ0प्र0 -सभी के लिये शिक्षा परियोजना का उपर्युक्त उल्लिखित प्रस्तावानुसार वित्तीय अधिकारो का प्रतिनिधायन किया जाय । अपर राज्य परियोजना निदेशक उपाध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति/प्रमुख सचिव(शिक्षा)/सचिव(शिक्षा) तथा अध्यक्ष कार्यकारिणी समिति मुख्य सचिव के वित्तीय अधिकार दिनांक 9.6.94 की बैठक मे लिये निर्णय के अनुसार यथावत रहेगे।

सभापति की अनुमति से अन्य बिन्दु

ब्लाक ससाधन केन्द्रो की चहारदीवारी तथा गेट का निर्माण

विश्व बैक सहायित 'उ0प्र0- सभी के लिये शिक्षा परियोजना अन्तर्गत प्रस्तावित 173 ब्लाक संसाधन केन्द्रो के निर्माण ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, उ0प्र0 द्वारा कराया जा रहा है । इन भवनो मे प्रत्येक मे कीमती प्रशिक्षण यन्त्र संयन्त्र जैसे- वी0सी0आर0, टी0वी0 प्रोजेक्टर आडियो बिजुअल यन्त्र तथा फर्नीचर, सीलिग पखे आदि रखे जायेगे जिनकी सुरक्षा सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है । लगभग सभी बी0आर0सी0 ग्रामो के समीप होने के कारण प्रशिक्षणार्थियों के एव उनके निजी सामानो की सुरक्षा तथा भवन का खिडकी दरवाजा शीशा आदि की सुरक्षा के लिये अपेक्षित प्रबन्ध किया जाना नितान्त आवश्यक है । उक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए इन भवनो के लिये आवश्यक चहारदीवारी के निर्माण का प्रस्ताव है ।

2 यह चहारदीवारी 1.65 मीटर ऊँचाई की प्रथम श्रेणी ईट से निर्मित किया जाना प्रस्तावित है । संलग्नक-1 में इंगित गणना अनुसार परियोजना के अन्तर्गत निर्मित/निर्माणाधीन ब्लाक ससाधन केन्द्र भवनो के लिए लगभग 14400 मीटर ऊँचाई की चहारदीवारी एवं 3.2 मीटर लम्बे 91 लोहे के गेट के निर्माण किया जायेगा, जिसकी कुल लागत रूपया 91 लाख होगी ।

3. इस प्रकरण को कार्यक्रम समिति की गत बैठक दिनांक 24.01.95 मे प्रस्तुत किया गया था । बैठक मे विचार-विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि कुल लागत में से निर्माण सस्था का सेटेज चार्जेज 15% की धनराशि निकाल दी जाय तथा इस कार्य को ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से कराया जाय । इस कार्य को सम्पन्न करने हेतु आई0डी0ए0 के अनुमोदन के लिये राज्य परियोजना कार्यालय कार्यवाही सुनिश्चित करे ।

4. कार्यक्रम समिति की बैठक दिनांक 24.01.95 के निर्णयानुसार ब्लाक ससाधन केन्द्रो के लिये आवश्यक चहारदीवारी एवं गेट के निर्माण हेतु कुल लागत रूपया 91.17 लाख में से 15% सेन्टेज चार्जेज रू0 13.68 लाख निकाल देने पर रूपया 77.49 लाख की धनराशि होगी । वित्त समिति ने दिनाक 31.01.95 की बैठक मे इस पर विश्व बैंक से सहमति प्राप्त करने की सस्तुति की है ।

प्रस्ताव :-

ब्लाक ससाधन केन्द्रो की चहारदीवारियो के निर्माण हेतु उपर्युक्त प्रस्ताव (संलग्न विवरणानुसार) रूपया 77.58 लाख पर विश्व बैंक से अनुमति प्राप्त करने हेतु सहमति प्रदान की जाय ।

******

एजेण्डा बिन्दु 12(iii)

(सलग्नक)

ब्लाक ससाधन केन्द्रो के लिये आवश्यक चहार दीवारी एव गेट का निर्माण

क्र0सं0	जनपद	बी0आर0सी0 की संख्या	चहारदीवारी का		लोहे का 3.2 मीटर लम्बा गेट		जनपदवार लागत (रू0 (5।7)
			लम्बाई(मी0)	लागत(रू0 लाख)	संख्या	लागत(रू0 लाख दर रू0 3000 प्रति गेट	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	वाराणसी	22	1760	10.56	11	0.33	10.89
2	गोरखपुर	19	1520	9.12	9	0.27	9.39
3.	इलाहाबाद	28	2240	13.44	14	0.42	13.86
4	बॉदा	13	1040	6.24	6	0.18	6.42
5.	इटावा	14	1120	6.72	7	0.21	6.93
6	सीतापुर	19	1520	9.12	9	0.27	9.39
7.	अलीगढ	17	1360	8.16	8	0.24	8.40
8	सहारनपुर	11	880	5.28	5	0.15	5.43
9.	पौडी	15	1500	9.90	11	0.33	10.23
10	नैनीताल	15	1500	9.90	11	0.33	10.23
	कुल	**173**	**14440**	**88.44**	**91**	**2.73**	**91.17**

कुल लागत **रूपया 91.17 लाख अर्थात् लगभग रूपया 91 लाख ।**

क्षेत्रों से प्राप्त आख्या के आधार पर उक्त गणना हेतु माना गया है कि :-

(क) निर्माण संस्था का सेन्टेज 15% है ।

(ख) चहारदीवारी का प्रति मी0 लम्बाई का लागत मैदानी क्षेत्र मे रू0 600 है तथा पर्वतीय क्षेत्र मे रू0 660 (कटिग/फिलिग/रीटेनिग दीवार के निर्माण हेतु मैदानी क्षेत्र से 10% अधिक दर) है ।

(ग) चहारदीवारी की औसतम लम्बाई प्रति बी0आर0सी0 मैदानी क्षेत्र मे 80 मीटर तथा पर्वतीय क्षेत्र मे 100 मीटर है ।

(घ) बी0आर0सी0 के लिये "गेट" की आवश्यकता मैदानी क्षेत्र के 50% भवनो का होगा तथा पर्वतीय क्षेत्र का 75% भवनो का होगा ।

एजेण्डा बिन्दु 12(iii)

सभापति की अनुमति से अन्य बिन्दु

परियोजना की विभिन्न समितियो के सदस्यो का यात्रा भत्ता देयकों का भुगतान

उ0प्र0 -सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद की विभिन्न समितियो के कतिपय सदस्यो द्वारा यह कहा गया कि उनकी विभाग/सस्था परियोजना की बैठक मे प्रतिभाग करने हेतु यात्रा-भत्ता देयको का भुगतान नही करेगी। इस हेतु परियोजना परिषद कार्यालय से टी0 ए0 तथा डी0 ए0 प्राप्त किया जाय। ऐसी स्थिति मे कतिपय सदस्यो ने बैठको मे प्रतिभाग करने मे असमर्थता व्यक्त की है।

2 परियोजना के अन्तर्गत गठित विभिन्न समितिया के सदस्य (सरकारी तथा गैर सरकारी) को बैठक मे प्रतिभाग करने के लिए लखनऊ तथा गन्तव्य स्थल पर जाने पर उनके विभाग/संस्था द्वारा उन्हे अनुमन्य दर पर टी0 ए0 तथा डी0 ए0 राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा दिया जाय।

3. वित्त समिति की बैठक दिनांक 31/01/95 मे विचार विमर्श के उपरान्त अनुच्छेद-2 के अनुसार कार्यवाही हेतु संस्तुति की है।

प्रस्ताव :--

उपर्युक्त उल्लिखित अनुच्छेद-2 के प्रस्ताव पर वित्त समिति की संस्तुति के अनुसार परियोजना के विभिन्न समितियो के सरकारी तथा गैर-सरकारी सदस्यो को यदि उनके विभाग/सस्था से टी0ए0 तथा डी0ए0 देय नहीं है तब उन्हे उनके विभाग/संस्था द्वारा अनुमन्य दर पर टी0ए0 तथा डी0ए0 राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा अनुमन्य किया जाय।

******

NIEPA DC
D08534

LIBRARY & DOCUMENTATION
National Institute of Educational
Planning and Administration,
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No D-8584
10-4-95